RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 09 05 मई 2022

जगत विज़न

व्यापमं बना व्यापार !

व्यापमं कांड के असली गुनहगार कौन?

मिश्रा-राजपूत-शर्मा की तिकड़ी ने दिया व्यापमं-2 घोटाले को अंजाम?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

व्यापमं बना व्यापार !

व्यापमं कांड के असली गुनहगार कौन?

मिश्रा-राजपूत-शर्मा की तिकड़ी ने दिया व्यापमं-2 घोटाले को अंजाम?

(पृष्ठ क्र.-6)

- केन बेतवा लिंक परियोजना, विकास या विनाश? 44
- फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव 58
- नीर के लिए पीर का स्थाई समाचार है जल जीवन मिशन 60
- Pollution Control in United States..... 62

व्यापमं...
व्यापमं
व्यापमं

इन्वेस्टर्स समिट : करोड़ों रूपये फूंकने के बाद नतीजा क्या?

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर इंवेस्टर्स समिट करने जा रही है। शिवराज सरकार इंवेस्टर्स समिट करके जनता के पैसों की आहूति देने की तैयारी कर रही है। इस वर्ष पहले यह समिट 04 से 06 नवंबर के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तारीखे बढ़ा दी गई हैं और अब समिट 07-08 जनवरी 2023 को आयोजित होगी। इस समिट में देश-दुनिया के तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जायेगा। सूत्रों के अनुसार इस इन्वेस्टर्स समिट का बजट 50 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2007 से 2016 तक शिवराज सरकार ने 12 इन्वेस्टर्स समिट की हैं। पहली इन्वेस्टर समिट 15-16 जनवरी 2007 में एनआरआई इन्वेस्टर मीट के नाम से खजुराहो में हुई। आखिरी मीट 22-23 अक्टूबर 2016 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के नाम से इंदौर में हुई। इन सभी 12 इन्वेस्टर समिट में 6821 निवेश के प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों के हिसाब से 17 लाख 49 हजार 739 करोड़ के निवेश का दावा किया गया लेकिन हकीकत में 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही प्रदेश की जमीन पर उतर पाया।

कमलनाथ सरकार ने नौ महीने के कार्यकाल में 30 हजार करोड़ के निवेश का दावा किया था, जो जमीन पर उतरा है। पीथमपुर में सिपला फार्मा ने 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अजंता फार्मा ने 500 करोड़, न्यूजर्सी की कंपनी पार फार्मा ने 400 करोड़ और मेक्लाइड ने 400 करोड़ का निवेश पीथमपुर में किया है। इसी प्रकार श्रीराम डीसीएम ग्रुप ने 600 करोड़, इंडिया सीमेंट 1800 करोड़, एचईजी ग्रेफाइट 1400 करोड़, रालसन टॉयर 1700 करोड़, पीएनजी 500 करोड़, सद्गुरु सीमेंट 250 करोड़ और कृष्णा फास्फेट ने 300 करोड़ का निवेश अब तक मध्यप्रदेश में किया है।

18 महीनों के लिए आई कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व में सफल मैग्नीफिशिएंट समिट का आयोजन किया। इस समिट में गौतम अदाणी से लेकर टाटा, अंबानी, सहित प्रमुख उद्योग समूह के लोगों ने प्रदेश में इनवेस्ट करने का भरोसा जताया। इसका कारण है कि कमलनाथ को उद्योग और व्यापार की समझ बेहतर है। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में हुई इनवेस्टर्स मीट सफल बताई गई है। गौरतलब है कि साल 2007 से 2012 तक प्रदेश में दस इन्वेस्टर्स समिट हुईं। इनमें 1238 निवेश के प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों में 08 लाख 88 हजार 797 करोड़ के निवेश होने का दावा किया गया। इन्वेस्टर्स ने एमओयू कर प्रदेश में इतने निवेश का वादा किया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 1238 प्रस्तावों में से महज 273 प्रस्तावों पर ही अमल हो पाया। 08 लाख 88 हजार करोड़ का दस फीसदी निवेश भी जमीन पर नहीं उतरा। साल 2014 और 2016 में सबसे ज्यादा निवेशकों के प्रस्ताव आए और बड़े इन्वेस्टमेंट के करार भी हुए। 08-10 अक्टूबर 2014 और 22-23 अक्टूबर 2016 को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुईं। इन समिट में ये बताया गया कि 5583 निवेश प्रस्ताव में 08 लाख 60 हजार 941 करोड़ का निवेश मध्यप्रदेश में किया जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं उलट है। इन 5583 प्रस्तावों में से 224 प्रस्ताव ही अमल में आए, जिनसे करीब 12 हजार 883 करोड़ का निवेश ही प्रदेश की जमीन पर हुआ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दो वर्ष में एक इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करते हैं। इन समिट में देश-विदेश के तमाम दिग्गज उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में आमंत्रित किया जाता है। सरकार उद्योगपतियों को इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करती हैं कि वो प्रदेश में निवेश लायेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रदेश की तरक्की होगी। लेकिन परिणाम इसके उलट ही दिखाई पड़ते हैं। उद्योगपतियों पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपए का राशि का कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे में इस समिट के आयोजन का क्या मतलब है। बेहतर है उद्योग विभाग कोई ऐसी रणनीति बनाए कि फोन या बेबिनार के माध्यम से उद्योगपतियों से संवाद किया जाये और उन्हें प्रदेश के निवेश की नीतियों से अवगत कराया जाये।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस महत्वाकांक्षी आयोजन की बात करें तो इन समिटों में देश के कई नामचीन उद्योगपति शामिल हुए। आयोजन के दौरान प्रदेश सरकार की आवभगत का भरपूर लाभ उठाया, लेकिन न तो उन्होंने प्रदेश में कोई प्लांट लगाया, न कोई कंपनी शुरू की और न ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला। कुल मिलाकर पूरी समिट में शिवराज सरकार ने अब तक अरबों रुपये खर्च किये, लेकिन परिणाम उसका कुछ नहीं निकला। परिणाम देखा जाये तो उद्योग विभाग ने सिर्फ मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति योजना शुरू करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का बाजा बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

विजया पाठक

व्यापमं बना व्यापार !

व्यापमं कांड के असली गुनहगार कौन?

मिश्रा-राजपूत-शर्मा की तिकड़ी ने दिया व्यापमं-2 घोटाले को अंजाम?

मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब केवल डेढ़ साल का समय बचा है। मुददों को लेकर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। फिर से उजागर हुआ व्यापमं कांड का सबसे प्रमुख मुददा कांग्रेस के हाथ लग गया है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार इस मुददे से बाहर निकलने की पूरी कोशिशों में लगी है लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले को लेकर पूरी सरकार पर हमलावर है और 2023 की रणभूमि में इसे व्यापक रूप से उठाने पर अडिग होती दिख रही है। जब ही तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक रणनीति के तहत प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को जन आंदोलन के रूप प्रदर्शित करने की तैयारी कर रही है। वैसे तो व्यापमं कांड का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी व्यापमं कांड के कई कारनामें सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार 2021-22 में पीईबी द्वारा जो तीन प्रमुख परीक्षाएं (कृषि विस्तार अधिकारी, एमपी पुलिस भर्ती और एमपी शिक्षक पात्रता भर्ती) आयोजित हुई, उनमें हुए फर्जीवाड़े की आंच सरकार तक आयी है।

मध्यप्रदेश में एक बार फिर व्यापमं कांड की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भले ही प्रदेश सरकार ने व्यापमं का नाम बदल दिया हो लेकिन इस संस्थान की कार्यशैली में फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार व्यापमं (पीईबी–पार्ट–2) की तीन मुख्य परीक्षा जो कि (मध्यप्रदेश प्रवेश शिक्षक पात्रता भर्ती घोटाला (MP-TET), कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला और मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला) ने प्रदेश के करीब 80 लाख लोगों की प्रभावित कर दिया है। आम परिवारों के बच्चों के पास सिर्फ एक मौका होता है और वह अपनी मेहनत, काबिलियत और प्रयास से पूरा करते है। ऐसे में सरकार उनसे वह मौका भी छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार का यह कदम प्रदेश के भविष्य के लिए घातक होगा। इन घोटालों की आंच निश्चित तौर पर सरकार पर आएंगी। इस पूरे मामले में सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे है। जैसे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे आदित्य गोविंद राजपूत को क्लीनचिट क्यों दी जबकि इनके कॉलेज से ही (MP-TET) का पेपर आऊट हुआ। इस मामले की जांच या विवेचना न करना और ना ही इस घोटाले पर कोई एफआईआर दर्ज करने के कारण नरोत्तम मिश्रा की भूमिका इस मामले में संदिग्ध नजर आती है। ऐसा ही रुख गृहमंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस घोटाले को लेकर किया जिसमें आरोप लगे है कि गलत तरीके से मेरिट लिस्ट निकाली गई। इसी मामले को लेकर पूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी घटखटाया है। ऐसे ही गंभीर आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को लेकर कृषि विस्तार घोटाले को लेकर लग रहे है। इस सबमें सबसे ज्यादा ऊंगली गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर उठ रही है क्योंकि वह जांच कराने से पीछे हट रहे है। अभी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में डेढ़ साल का समय बचा है पर क्या व्यापमं पार्ट–2 घोटाले की आंच भाजपा पर चुनाव में दिखाई देगी क्योंकि यह मामला प्रदेश के करीब–करीब 80 लाख लोगों से जुडा है, जिनके परिवार का कोई–न–कोई होनहार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। बात यह भी उठती है जो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बात–बात में बुल्डोजर से पत्थर में बनाने और जमींदोज की बात करते है, वह मध्यप्रदेश के बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात करके औचित्यहीन जांच करवा के आरोपियों को क्लीन चीट कैसे दे सकते है। मामले में न्याय मिलने तक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत से इस्तिफा ले लेना चाहिए क्योंकि जब तक यह दोनों कैबिनेट में शामिल रहेंगे तब तक ये न्याय में बाधा बनेंगे।

व्यापमं कांड का सच बाहर जरूर आना चाहिए क्योंकि राज्य के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है, जो सड़कों पर है और न्याय की आस कर रहें है। सरकार को इनको भविष्य के प्रति गंभीरता दिखानी होगी।

बड़ा सवालः गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे को क्लीनचिट क्यों दी?

विजया पाठक

व्यापमं (अब कर्मचारी चयन बोर्ड) में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर एक बार फिर बहुचर्चित व्यापमं घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। इससे सियासत में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दल कांग्रेस सत्तारूढ़ सरकार को घेरने में जुटा है तो सरकार अपने बचाव में जुट गई है। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के लिए देशभर में सुर्खियों में रहा है और इसका नाम पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया

MP-TET परीक्षा घोटाला

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पेपरलीक मामले में मंत्री और उसके पुत्र को बिना जांच के कैसे क्लीनचिट दे दी?

क्या गृहमंत्री भी घोटाले में शामिल हैं?

भारत के इतिहास में शायद यह पहला मामला होगा जब कोई गृहमंत्री, जिसके ऊपर प्रदेश की विवेचनाओं की जिम्मेदारी होती है, वह इस तरह की असंवेदनशीलता का परिचय दे सकता है। दरअसल प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी–टीईटी पेपरलीक मामले में बिना जांच के ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके पुत्र आदित्य गोविंद राजपूत को क्लीनचिट दे दी और तो और इस मामले में आज दिनांक तक कोई एफआईआर दर्ज की। प्रदेश की 80 लाख लोगों के रोजगार संबंधी घोटालों पर नरोत्तम मिश्रा संजीदगी नही दिखाते हैं। एक बेरोजगार अभ्यार्थी से अगर आप रोजगार का अवसर भी छीन लोगे तो आने वाले दिनों में प्रदेश के लिये यह बहुत घातक स्थिति निर्मित करेगा। मध्यमवर्गीय और गरीब परीवारों के बच्चों का भविष्य अगर इस तरह बिकेगा तो उसकी सिस्टम के प्रति सारे उम्मीद ही खत्म हो जायेगी। हास्यास्पद है कि इतने जटिल MP-TET परीक्षा घोटाले की जांच मैप आईटी को किस हैसियत से दी? इस काम में तो पहले ही दिन प्राथमिकी दर्ज कर देना चाहिए था और जांच एसआईटी और फॉरेनसिक एक्सपर्ट के पास दे देना चाहिए था। आपके पास जांच के विभिन्न आवेदन भी आये पर आपने कोई जांच करना मुनासिब नही समझा। व्यापमं घोटाला पार्ट–2 जो कि मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज सेंटर जिसका संचालन प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य राजपूत के यहां से हुआ है। भले ही इन्होंने किसी संस्था को संचालन के लिए अपना संस्थान दिया पर इनमे गोविंद सिंह राजपूत और उनके पुत्र की भूमिका से इंकार नही किया जा सकता। खैर निश्चित ही आज की मैप आईटी (वैसे तो इसको आपराधिक षड़यंत्रों की जांच का अधिकार ही नही है) तब की एसटीएफ के जैसी ही जांच करेगी, पर कहीं आपके और वर्तमान परिवहन मंत्री के कारण घोटाला पार्ट–2 की फजीती से भाजपा 2023 में ना हार जाए। मंत्रीजी इन सब कारणों से व्यापमं पार्ट–2 घोटालों में आपकी भूमिका संदिग्ध हैं। एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कथन था जिस घर से पत्थर निकलेगा उसे पत्थरों का ढेर बना देंगे। क्या इन गरीब बच्चों के भविष्य को आपने बिना जांच करें पत्थर में तब्दील कर दिया क्या अपने पुत्र समान आदित्य गोविंद राजपूत के संस्थान और घर को आप पत्थरों का ढेर बना देंगे? क्या व्यापमं घोटाला–2 में फिर आप लोगों के कारण मौत की मंडी सजेगी?

और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड नाम से इसे पहचाना जा रहा है। खास बात है की सरकार ने अपनी नाकामी और भ्रष्टचार छुपाने के लिए हर बार केवल नाम बदलने का रास्ता ही अपनाया है। लेकिन गड़बड़ियां इसका पीछा नहीं छोड़ रहीं हैं। ताजा मामला

MP-TET परीक्षा घोटाला

क्या नौ सौ करोड़ की MP-TET घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य गोविंद राजपूत है?

MP-TET घोटाले की मुख्य जड़ वही है जहां से यह स्क्रीनशॉट लिए गए थे। और वो था ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस सेंटर। यह संस्थान मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य गोविंद राजपूत का है। दरअसल इस परीक्षा को करवाने का जिम्मा एडुक्विटी कंपनी को मिला, जिसने आगे काम को ठेकेदारी सांई एजुकेशन को दे दिया। बैंगलोर की एडुक्विटी कंपनी को पीईबी (व्यापमं) ने ऑनलाइन परीक्षा का सशर्त काम सौंपा, जिसमें कंपनी को परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर चुनने से लेकर परीक्षा का काम करने की शर्त थी। इसके बावजूद एडुक्विटी कंपनी ने आगे का काम सब-लेटिंग में सांई एजुकेयर से करवाती रही। 05 महीने तक पीईबी (व्यापमं) के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने यह गोरखधंधा चलता रहा। पर इन सबने अपनी आँखें मूंदी रखी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा की केंद्र सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) ने एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर को ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपात्र घोषित किया है पर इन सबके बाद व्यापमं की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसने इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी से परीक्षा करवाई। अब इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आगे अपना काम उससे भी छोटी कंपनी को दे दिया। इस कंपनी ने ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस सेंटर को किराए से ले लिया। इस कॉलेज के परीक्षा स्थल पर मोबाइल लाना मना था उस सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे आया। जिस अभ्यर्थी की कम्प्यूटर स्क्रीन से पीछे से फोटो खींचे वो कौन अभ्यर्थी था और किसने वह फोटो खींची। अब सवाल यह उठता है कि क्या मंत्री पुत्र के रसूख से मोबाइल अंदर आया? कुल 17 हजार पद हाईस्कूल एवं 5670 पद मिडिल स्कूल के पदो की भर्ती के लिए जहां 04-05 लाख रूपये लिए जा रहे थे, वहां यह घोटाला करीब 900 करोड़ का हो जाता है। MP-TET परीक्षा 05 मार्च से चालू हुई थी। ऐसे ना जाने कितने स्क्रीन शॉट आउट हुए होंगे। सवाल यह भी है कि मोबाइल में यह कैसे आया, जबकि परीक्षा स्थल पर मोबाईल जैमर भी लगाने का प्रावधान है। इतने बड़े घोटाले के तार किसी बड़े व्यक्ति के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके पुत्र पर इस घोटाले में सबसे ज्यादा संदेह पैदा होता है। एक बात और संदेह में जाती है कि जिस परीक्षार्थी मनोज कुमार पाटिल की स्क्रीन से स्क्रीन शॉट लिए गए उसमें ऐनी डेस्क नाम का सॉफ्टवेयर खुला हुआ था। ऐनी डेस्क सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल देने के लिए उपयोग होता था। क्या यहां पर स्क्रीन शॉट के अलावा कोई और इस स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा था। यह पूरा मामला इतनी परतों में है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से जांच से ही पूरा न्याय प्रदेश के लगभग 9.5 लाख अभ्यर्थियों व उनके परिवारों मिल सकता है।

सहायक कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, एमपी पुलिस भर्ती और एमपी-TET का पेपर आंसरशीट के वायरल होने का है। यह तीनों ही मामले फरवरी 2021 और मार्च 2022 के हैं। सहायक कृषि विकास अधिकारी

MP-TET परीक्षा घोटाला

और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा का मामला फरवरी 2021 को, MP-TET का मामला 26 मार्च 2022 को और एमपी पुलिस भर्ती का 28 मार्च 2021 को प्रकाश में आया। हालांकि इसकी शुरूआत फरवरी 2022 में ही हो गई थी, जब व्यापमं ने 10-11 फरवरी 2021 को सहायक कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा आयोजित की थी। घोटाले के तार इसी परीक्षा से जुड़ने प्रारंभ हो गये थे और धीरे-धीरे कर यह आगामी परीक्षाओं तक पहुंच गये। अब इसकी आंच को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को कटघरे में घसीटना शुरू कर दिया है। व्यापमं घोटाले

MP-TET परीक्षा घोटाला

ज्वलंत सवाल

जो व्यापमं पार्ट-2 घोटाले से जुड़े है ?

- जब परीक्षा पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया में आया तो उस पर एफआईआर करके संदिग्धों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?
- आंसरशीट पीईबी द्वारा वेबसाईट में डालने के बाद तुरंत हटा ली गई, इससे पीईबी के कुछ लोगों की संलिप्तता दिखती है। इस पर भी जांच क्यों नहीं चालू की गई?
- ज्ञानवीर कॉलेज, सागर यहां के परीक्षार्थी मनोज पाटिल की स्क्रीन से पेपर आउट हुआ तो मनोज पाटिल उसके साथ अन्य लोग जो इस घोटाले में शामिल थे उन पर आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई ?
- परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल जेमर लगते हैं, गहन जांच के बाद कैमरा वाला मोबाईल फोन अंदर कैसे पहुंचा, चूंकि यह कॉलेज के मालिक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य गोविन्द राजपूत है तो परीक्षा केन्द्र के संचालक कंपनी, कॉलेज के डायरेक्टर और मालिक पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?
- कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकार्डिंग लेकर जांच आज तक चालू क्यों नहीं की गई?
- स्क्रीनशॉट वाले कम्प्यूटर मॉनीटर पर एनीडेस्क नाम का साफ्टवेयर क्यों ओपन था क्या कम्प्यूटर स्क्रीन किसी और कम्प्यूटर के साथ शेयर की गई थी?
- जैसा की सरकार झुठलाती रही है कि पेपर परीक्षा हॉल से लीक नहीं हुआ तो क्या यह पेपर पीईबी के सर्वर कम्प्यूटर से लीक हुआ है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई?

जब सरकार द्वारा इन सब मुद्दों पर बिना जांच के ही मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ऐसे में मामला और संदिग्ध और इसमें बड़े लोगों के शामिल होने की सूरत दिखती है क्योंकि जब कोई बड़ी मछली जाल में फंसी होगी उसको ही सरकार इस तरह से बचाने की कवायद करती है। आखिर सरकार इस घोटाले पर क्यों चुप है कि कितने अभ्यर्थियों के पास पेपर लीक हुये, आर्थिक गणना के अनुसार यह घोटाला कितना बड़ा है, इसमें सरकार के मंत्रियों और भाजपा संगठन के नाम आ रहे हैं वह कितने ऊपर तक इस घोटाले के तार जुड़े हैं, आखिर विद्यार्थियों की जायज मांगो पर सरकार मौन क्यों? और इस घोटाले का सूत्रधार कौन है?

की जड़ों तक जाकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उधर सरकार भी घोटाले को लेकर सतर्क है और बचाव में निष्पक्ष जांच की बात कर रही है, लेकिन हर दिन सबूत के तौर पर उजागर हो रहे मामलों ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है।

इन तीनों मामलों ने एक बार फिर व्यापमं को सुर्खियों में ला दिया है। व्यापमं

आप लोग के बच्चे ग्वालियर में होटल चलायें, सागर में कॉलेज चलाये और गरीब-मध्यमवर्गीय के बच्चे जो मेहनत करके नौकरिया पातें है उनके पद आप बेच डाले। यह कहां का न्याय है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी! क्या व्यापमं घोटाला-2 में फिर से सजेगी मौत की मंडी?

चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाएं आयोजित करता है। व्यापमं साल 2013 में तब पहली बार चर्चा में आया जब पीएमटी की परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की परतें खुलना प्रारंभ हुईं। इस मामले ने देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी और यह प्रकरण एसआईटी के बाद सीबीआई तक पहुंचा। इस मामले में कई

MP-TET परीक्षा घोटाला

व्यापमं घोटाले के आरोपियों को कठोर सजा दिलाएगी हमारी सरकार- कमलनाथ

मध्यप्रदेश में एक बार फिर व्यापमं घोटाला-2 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार खुद को साफ और स्वच्छ छवि की बताने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुटी हुई है। वहीं, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किये हैं कि आखिर प्रदेश के माथे से व्यापमं का यह कलंक कब हटेगा? आखिर क्यों शिवराज सरकार व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है? वहीं, कमलनाथ ने भी व्यापमं घोटाले के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के अपने इरादे दिखा दिये हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि उनकी सरकार आती है तो वे व्यापमं के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे।

कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार व्यापमं पार्ट-2 घोटाले की ओर बढ़ रही है। सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता केके मिश्रा पर ही एफआईआर करवा दी है। ये तो चोरी के ऊपर सीनाजोरी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दूसरा व्यापमं घोटाला होने से रोकिए। पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाखों नौजवान रोजगार और सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह परीक्षार्थी वर्षो से कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा में बैठते हैं और योग्यतम उम्मीदवार चयनित होते हैं। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दागी कर्मचारी एवं नेताओं का संरक्षण करने के बजाए तत्काल मामले की जांच करानी चाहिए, ताकि परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो और मध्यप्रदेश में दूसरा व्यापम घोटाला होने की आशंकाएं समाप्त हों।

कमलनाथ ने सीएम शिवराज से सवाल पूछते हुए यह भी कहा है कि मप्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-3 यदि ऑनलाइन थी। मोबाइल फोन पूरी तरह वर्जित थे, तो 35 पेज का प्रश्नपत्र, आंसरशीट मोबाइल के स्क्रीनशॉट में लीक कैसे हुई। कमलनाथ ने कहा कि गत वर्ष कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में भी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के चलते हुए चयन के प्रामाणिक विरोध के बाद परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं हुई थी। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि उसमें मुख्य सूत्रधार दंडित हो सके हैं। कमलनाथ ने कहा कि व्यापमं घोटाले के समय भी मुख्यमंत्री से जुड़े एक प्रमुख अधिकारी का नाम सामने आया था। उस अधिकारी ने जिला कोर्ट भोपाल से अग्रिम जमानत ली थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई?

प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता घेरे में आए, कई को तो जेल तक जाना पड़ा। एक बात जो विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है वो यह की इस पूरे मामले से जुड़े 100 लोगों को मौत के कारणों का खुलासा अब तक नही हो पाया है। अब एक बार फिर यह

MP-TET परीक्षा घोटाला

लगभग साढ़े नौ लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़

मध्यप्रदेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। व्यापमं में मेडिकल कॉलेज की सीटों की बंदरबांट का फर्जीवाड़ा हो या नर्सिंग का फर्जीवाड़ा। अब MP-TET में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। यह मामला प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जो 26 मार्च 2022 को उजागर हुआ था। प्राथमिक शिक्षक पात्रता (वर्ग-3) का परीक्षा में प्रदेश भर से करीब करीब नौ लाख 37 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस पात्रता परीक्षा का प्रश्नपत्र और आंसरशीट मोबाइल पर वायरल हुई, उसके स्क्रीनशॉट भी लोगों तक पहुंचे। इस मामले ने तूल पकड़ा और मुख्यमंत्री सचिवालय के ओएसडी लक्ष्मण सिंह पर आरोप लगे। इस पर ओएसडी लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केके मिश्रा और डॉ. आनंद राय के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। यही नहीं दोनों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराया गया। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और आंसरशीट मोबाइल पर वायरल होने का मामला जोरों पर ही था, इसी दौरान बोर्ड की वेबसाइट से आंसरशीट को हटा देना की चर्चाओं ने जोर पकड़ा।

आंसरशीट क्यों हटाई गई?- सबसे बड़ा सवाल है कि व्यापमं की वेबसाईट से आंसरशीट क्यों हटाई गई। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शुचिता और पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है परंतु उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर शीट जारी करने के तत्काल बाद उसे ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया। इस परीक्षा में करीब 9.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए हैं। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक वर्ग- 3 की परीक्षा पिछले महीने हुई थी जिसका पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। इसमें सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज से इसके लीक होने के तथ्य सामने भी आए। वहीं, आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट मामला सुर्खियों में है और सियासी जोर भी पकड़ रहा है।

कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह सरकार को उस समय व्यापमं घोटाले में घेरा था। कमोबेश वही परिस्थितियां इस बार फिर दोहराए जाने

MP-TET परीक्षा घोटाला

में क्वालीफाइड और नॉट क्वालीफाइड को लेकर परीक्षा पर सवाल उठाए गए। आरक्षक भर्ती के कई परीक्षार्थियों ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर धरना भी दिया था और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। इन परीक्षाओं पर उठे सवाल से पीईबी की छवि फिर संदेह के घेरे में आई।

MP-TET-3 आंसरशीट में क्या गड़बड़ी थी- दिनांक 26 मार्च 2022 को कुछ स्क्रीन शॉट वायरल हुए थे। दावा किया गया था कि यह 25 मार्च 2022 को आयोजित पेपर के स्क्रीन शॉट हैं। जब आंसरशीट जारी हुई तो उम्मीदवारों ने वायरल हुए पुराने स्क्रीन शॉट और आंसरशीट दोनों के तुलनात्मक अध्ययन वाले फोटो वायरल कर दिए। दोनों के प्रश्न और उत्तर बिल्कुल एक समान हैं।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मैनेजमेंट द्वारा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी गई। अब स्थिति यह है कि जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं लेकिन जांच एजेंसी का नाम तक नहीं बता पाए।

शक के दायरे में परिवहन मंत्री और कंपनी दोनों हैं- MP-TET सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि यह स्क्रीन शॉट सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस सेंटर से जारी हुआ है। इसकी पुष्टि भी हो गई है। यह कॉलेज प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटा चला रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए साईं एडुकेयर ने अनुबंध पर लिया था। कॉलेज का प्रबंधन देखने वाले मनीष जैन के मुताबिक हमने सिर्फ

यही वह पिता-पुत्र की जोड़ी है, जिनके इंस्टीट्यूट से MP-TET का पेपर लीक हुआ था। संदेह है कि व्यापमं के इस फर्जीवाड़े में इनकी संलिप्तता है।

लगीं। पिछली बार तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे, तब के पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव और तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने व्यापमं घोटाले में जिस तरह घेरा था, इस बार नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, युवा

MP-TET परीक्षा घोटाला

यह वही इंस्टीट्यूट है जहां से MP-TET का पेपर लीक हुआ था जिसका संचालन परिवहन मंत्री का बेटा आदित्य गोविंद राजपूत करता है।

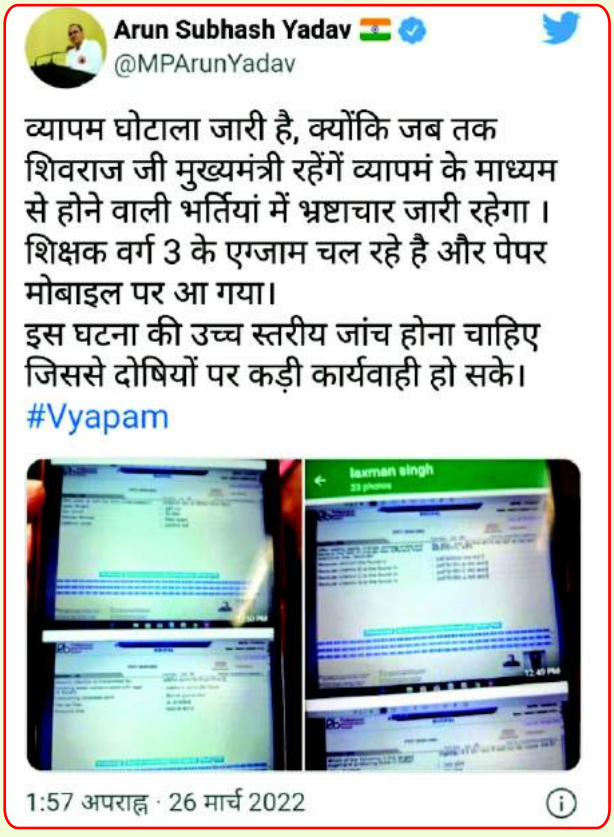

कॉलेज किराए पर दिया। साईं एडुकेयर ने कॉलेज किराए पर लिया था। उन्होंने ही सारा संचालन किया है। इसलिए उन्हें ही पता होगा कि स्क्रीन शॉट किसने और कहां से आउट किए हैं।

कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग- इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पीसी शर्मा सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा की यह गंभीर आरोप है। इसकी जांच तत्काल होना चाहिए। अरुण यादव का ट्वीट- व्यापमं घोटाला जारी है, क्योंकि जब तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे व्यापमं के माध्यम से होने वाली भर्तियां में भ्रष्टाचार जारी रहेगा। शिक्षक वर्ग-3 के एग्जाम चल रहे हैं और पेपर मोबाइल पर आ गया। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके।

व्यापमं पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज से लिया स्क्रीन शॉट

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज से लिया स्क्रीन शॉट सागर से ही वायरल किया गया। मप्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP-TET) के पर्चे का वायरल स्क्रीन शॉट सही था। यह बात कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के साथ पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव व्यापमं 02 और 03 के आरोपों से सरकार को घेर रहे हैं। तब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिस तरह भाजपा पर हमले किए थे, इस बार भी वे इस मुद्दे पर वैसे ही हमलावर हैं।

MP-TET परीक्षा घोटाला

व्यापमं की प्रारंभिक जांच में साबित हो गई है। पीईबी के सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि यह स्क्रीन शॉट सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस सेंटर से जारी हुआ है। इसकी पुष्टि पीईबी के एक अफसर ने भी कर दी थी। इससे हड़कंप मचा हुआ है। यह कॉलेज प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है। पीईबी अफसरों के मुताबिक MP-TET परीक्षा के प्रश्नपत्र के वायरल हुए स्क्रीनशॉट में बताए गए प्रश्न 25 मार्च 2022 को हुई परीक्षा में पूछे गए थे। यह प्रश्न सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस सेंटर के परीक्षार्थी मनोज कुमार पाटिल के प्रश्नपत्र के थे। स्क्रीन शॉट ड्यूरिंग एग्जाम के निकले तो एग्जाम पर फैसला होगा। पीईबी अफसरों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चे का स्क्रीन शॉट अगर ड्यूरिंग एग्जाम का निकलता है, तो परीक्षा के संबंध में भी कार्रवाई होगी। जबकि परीक्षा के बाद का स्क्रीन शॉट निकलने पर कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान केवल सर्वर रूम में इंटरनेट कनेक्टिविटी पीईबी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाया जाता है। लेकिन परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम में लैन नेटवर्क के मार्फत इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है। इस कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चे का स्क्रीन शॉट सर्वर रूम में संबंधित छात्र की स्क्रीन ओपन कर मोबाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा गया है।

अपात्र कंपनी एडुक्विटी को दिया शिक्षक भर्ती पात्रता एग्जाम का जिम्मा- जिस एडुक्विटी कंपनी को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने कमीशन लेकर साईं एजुकेयर को अपना काम दे दिया। यानी हमारे 9.36 लाख नौजवानों के भविष्य पर कमीशन का धंधा चल रहा है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी को एग्जाम का कांट्रैक्ट मिला है, उसे तो केंद्र सरकार ने इस काम के योग्य भी नहीं माना है। फर्जीवाड़े के लिए बदनाम है। बेंगलुरू की कंपनी एडुक्विटी को MP-TET ने ऑनलाइन परीक्षा कराने का काम सशर्त सौंपा है। पीईबी ने एजेंसी को परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर से बुकिंग लेकर परीक्षा कराने तक का काम खुद ही करने की शर्त रखी है, लेकिन एडुक्विटी ने वर्क ऑर्डर की शर्तो को दरकिनार कर काम राजस्थान के जयपुर से संचालित साईं एजुकेयर को दे दिया। अब परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर बुक करने से लेकर परीक्षा कराने तक का काम साईं एजुकेयर कर रही है। दोनों कंपनियां बीते पांच महीने से लगातार काम कर रही हैं। इसके बावजूद पीईबी चेयरमैन आईसीपी केसरी और परीक्षा नियंत्रक अग्रवाल ने मामले में एग्जाम सेंटर बुकिंग और एग्जाम प्रोसेस की जांच नहीं कराई।

केंद्र सरकार ने एडुक्विटी को अपात्र बताया- मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) ने एडुक्विटी कॅरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू को ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपात्र घोषित किया है। डीजीटी ने इसकी एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इसमें देश की चार कंपनियों को कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अपात्र घोषित किया गया था। बावजूद इसके पीईबी ने उसे ठेका दे दिया।

हाल में हुई MP-TET और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को व्यापमं घोटाला पार्ट-3 बताया जा रहा है। परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों ने PEB दफ्तर का घेराव कर नारेबाजी की। कैंडिडेट्स ने पूछा कि मैं 76 नंबर लाकर भी नॉट

MP-TET परीक्षा घोटाला

क्वालिफाइड हूं। मेरा दोस्त 64 नंबर लाकर कैसे क्वालिफाइड? आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच हो। इंदौर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, रीवा समेत 12 से यादा जिलों से आए उम्मीदवारों ने MP-TET को रद्द करने की मांग की। पुलिस

MP-TET परीक्षा घोटाला

एक्जाम स्केम को पकड़ना है तो पीईबी को पकड़ना होगा–दिनेश चौहान, अधिवक्ता, जबलपुर हाईकोर्ट

दिनेश चौहान से जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक बातचीत करती हुई

पीईबी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जबलुपर हाईकोर्ट के वकील दिनेश चौहान ने कहा कि सभी लोग पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुए घोटाले पर किसी न किसी पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन जिस पर आरोप लगना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि वाकई में सरकार को या विपक्ष को इन घोटालों की तह तक जाना है तो सबसे पहले वह पीईबी को पकड़ना होगा। जो कुछ भी फर्जीवाड़ा हुआ है या हो रहा है। उसकी मूल जड़ पीईबी ही है। पूरे स्केम का मास्टर माईंड पीईबी ही है। पूरा खेल यहीं से खेला जाता है। पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का स्केम पीईबी के सर्वर से होता है। मुझे लगता है कि सरकार भी असली जड़ तक नहीं जाना चाहती है। जब ही तो आज तक सरकार ने पीईबी की भूमिका पर कोई बात नहीं की है। सरकार खुद मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और परीक्षा को भी भंग नहीं कर रही है।

मेरा सरकार से सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक भी व्यक्ति की परीक्षा की पवित्रता भंग होती है तो उस परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। फिर पीईबी की परीक्षा में एक नहीं कई परीक्षाओं पर घोटाले की बात सामने आ रही है। सरकार इन परीक्षाओं को भंग क्यों नहीं कर रही है।

दिनेश चौहान ने सरकार द्वारा भर्तियों में दिये जा रहे आरक्षण पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं। इनका कहना है कि आरक्षण में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वह महिला आरक्षण हो या एक्स–सर्विस मेन का आरक्षण हो। दिनेश चौहान ने पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की धांधली की सीबीआई जांच की मांग की है।

आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी जांच कराने की मांग की। कई उम्मीदवार तो अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे। उम्मीदवारों ने आरोप लगाए कि मामला सामने आने के बाद MP-TET के जिम्मेदार अधिकारी कंट्रोलर डीके अग्रवाल छुट्टी पर चले गए। आखिर क्या कारण है कि अग्रवाल को छुटटी पर जाना पड़ा। इससे यही लगता है कि व्यापमं कांड में इनकी भूमिका संदिग्ध है।

वर्तमान में व्यापमं पार्ट-2 और व्यापमं पार्ट-3 घोटाले से व्यापमं घोटाला पार्ट-1

MP-TET परीक्षा घोटाला

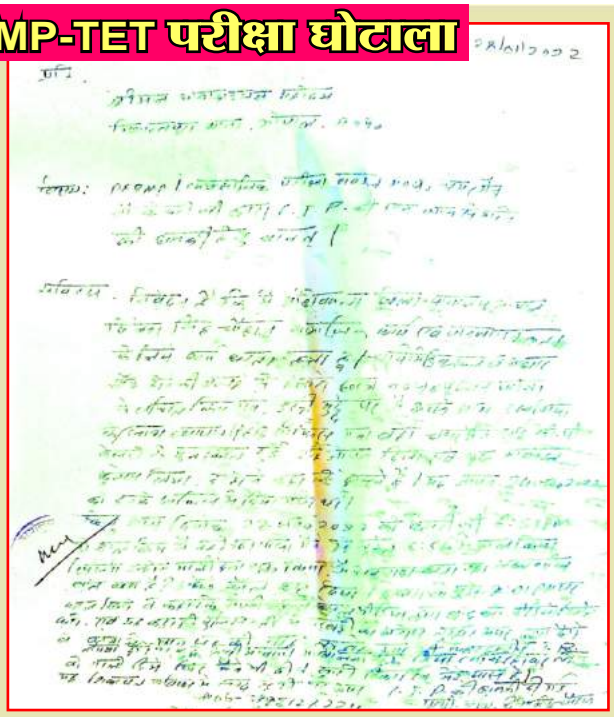

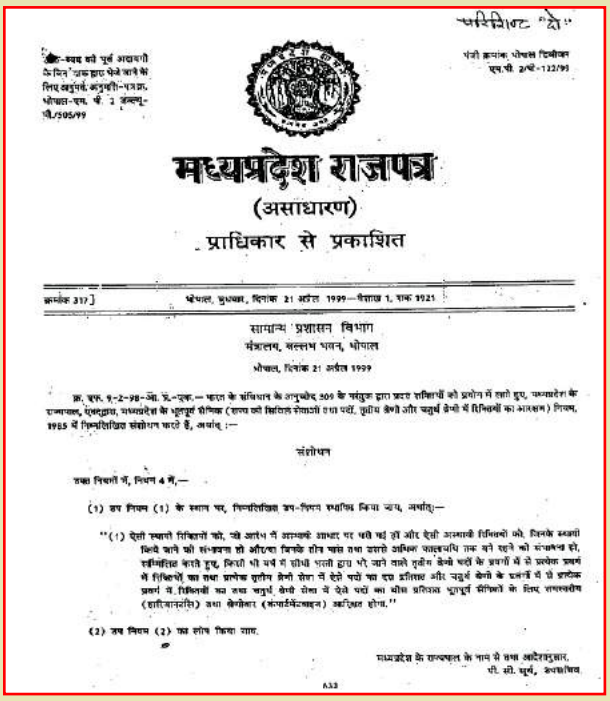

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अप्रैल 1999—वैशाख 1, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 1999

संशोधन

ये वही आवेदन है, जो जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिनेश चौहान ने निशातपुरा थाने में दिया था। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा था कि व्यापमं की परीक्षाओं में हुई धांधली के विषय में जब हम व्यापमं के चेयरमैन आईसीपी केसरी से मिलने गए तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि तुम मामले में मत पड़ो, मैं (केसरी) तुम्हारा कैरियर खत्म करवा दूंगा। जिसकी शिकायत मैंने (दिनेश चौहान) थाने में की थी।

ये मध्यप्रदेश का राजपत्र है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य शासन की विभिन्न परीक्षाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पीईबी द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में एक भी भूतपूर्व सैनिक का सिलेक्शन नहीं हुआ। कहां जा सकता है कि यह सरकार की ही अनदेखी का परिणाम है।

की याद ताजा हो गई हैं। मध्यप्रदेश में व्यापमं पार्ट-2 को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। व्यापमं कांड के पहले संस्करण से अभी तक प्रदेश भाजपा और सरकार का पीछा छूटा भी नहीं था कि अब उसकी जगह व्यापमं कांड-2 ने ली है। दरअसल पिछले दिनों हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर पूरी सरकार शक के घेरे में आ गई है। बताया यहां तक जा रहा है कि इस व्यापमं कांड के घेरे में प्रदेश के कई मंत्री और अफसर भी आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यापमं कांड-2 के सच्चाई की परतें किस तरह से खुलती हैं। मामला और भी संदिग्ध इसलिये दिख रहा है क्योंकि जिस कालेज से पेपर आउट हुआ वो प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य राजपूत का है, और-तो-और

MP-TET परीक्षा घोटाला

मैप आईटी से जांच का कोई औचित्य ही नहीं बनता

मैप आईटी मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी, डिपार्टमेंट आफ साईंस एण्ड टेक्नालॉजी मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत 1999 में स्थापित हुआ। जिसे प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों का कम्प्यूटराईजेशन, इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी और नेटवर्किंग से संबंधित कार्य की विशेषता है। इस विभाग के पास आपराधिक अनुसंधान का न तो अधिकार है न ही किसी को प्रोसिक्यूट करने की शक्ति है। यहां पर साफ्टवेयर इंजीनियर जैसे विशेषज्ञ कार्य करते हैं तथा साईबर अपराधों से इनका कोई संबंध नहीं होता। यह विभाग गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास नहीं है तो किस आधार पर गृह मंत्री ने इस साईबर क्राईम से जुड़े मामले में पुलिस के तरफ न जाकर मैप आईटी से जांच करने का आदेश दिया।

सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में बिना जांच के पहले दिन ही मंत्री पुत्र को क्लीनचिट दे दी। निश्चित तौर पर मैप आईटी जो इस मामले में जांच कर रही है वो व्यापमं पार्ट-1 की एसटीएफ और सीबीआई ही साबित होगी क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप के कारण व्यापमं कांड मे सही न्याय किसी को नहीं मिल सकता है। व्यापमं घोटाला पार्ट-2 जो कि मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज सेंटर जिसका संचालन प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आदित्य राजपूत करते हैं। इसमें गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। वैसे भी मध्यप्रदेश, व्यापमं और भाजपा सरकार। ये वो तीन शब्द हैं,

MP-TET परीक्षा घोटाला

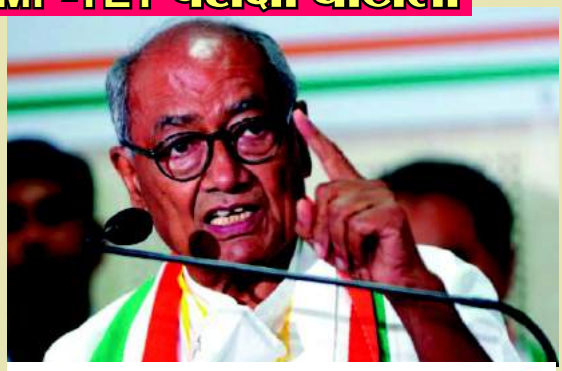

व्यापमं-3 को छिपाने की तैयारी है- दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम

व्यापमं-3 घोटाले को छिपाने की तैयारी है। शिवराज सरकार जांच कराने के बजाय शिकायत करने वाले पर मामला दर्ज कर लिया। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वर्तमान में व्यापमं कांड के जो मामले सामने आ रहे हैं वह एक बार फिर बीजेपी सरकार की कारगुजारियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। वायरल स्क्रीन शॉट पर जो लक्ष्मण सिंह का नाम दिखाई दे रहा है इसी कॉलेज का कर्मचारी है। उम्मीदवारों की डिमांड है कि कॉलेज के संचालक जो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे हैं और कॉलेज के अस्थाई कर्मचारी जिसका नाम लक्ष्मण सिंह है, दोनों की गतिविधियों की जांच की जाए। निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए यह अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह व्यापमं घोटाले को लेकर व्यापमं कांड-1 से सवाल उठाते रहे हैं। व्यापमं-1 में भी सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। व्यापमं-2 और 3 में भी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

क्या कांग्रेस 2023 में व्यापमं घोटाला को बनायेगी चुनावी मुद्दा?

जिनका पिछले कुछ समय से चोली-दामन जैसा साथ रहा है।

मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP-TET) और पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए कुछ उम्मीदवारों ने दोनों परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाए हैं। विवाद के चलते बोर्ड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अनियमितताओं का खुला आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर दूसरा व्यापमं कांड रोकने का आग्रह किया है। छात्रों का आरोप है कि MP-TET परीक्षा के दिन ही सोशल मीडिया पर इसके प्रश्न और आंसरशीट का स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा था।

MP-TET परीक्षा घोटाला

जांच में भी साफ हो चुका है कि स्क्रीन शॉट सही हैं-डॉ.आनंद राय

मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर के वायरल स्क्रीन शॉट के मामले में व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा स्क्रीन शॉट में साफ दिख रहा है कि सभी चार ऑप्शन A, B,C और D के गोले भरे नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि यह स्क्रीन शॉट पेपर शुरू होने के पहले लिए गए हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान ही कैंडिडेट्स को यह मिल चुके होंगे। जांच में भी साफ हो चुका है कि स्क्रीन शॉट सही हैं। डॉ. राय ने कहा कि जब स्क्रीनशॉट सही हैं, तो मैंने कैसे कूटरचित दस्तावेज जारी कर दिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि स्क्रीन शॉट पर लिखा लक्ष्मण कौन है? ये उस तक कैसे पहुंची, उसकी जांच होना चाहिए। इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। डॉ. राय ने कहा कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं। मैंने एक और बात कही थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान में एक रीट घोटाला है। वहां कांग्रेस की सरकार है। उसे भी मैंने ही एक्सपोज किया था। उस परीक्षा को निरस्त कराया। मेरा एक्ट राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम दोनों पार्टियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। व्हिसल ब्लोअर होने के कारण लोगों की उम्मीद रहती है, क्योंकि वे सामने नहीं आ पाते हैं। ऐसे में हम उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं। इस मामले पर पेश है जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक से डॉ. आनंद राय से हुई बातचीत के प्रमुख अंश-

■ **व्यापमं पार्ट- 2 घोटाला के बारे में आपको कैसा पता लगा?**

▸▸ राजगढ़ से एक अभ्यार्थी ने मुझे कुछ स्क्रीन शार्ट भेजे, जिसमें व्यापमं द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र के कुछ

प्रदेश का हर एक जागरुक नागरिक इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि पिछली बार प्रदेश में व्यापमं कांड सामने आया था। धीरे-धीरे उससे पूरे कांड से जुड़े व्यक्तियों की मौतें होने से प्रदेश में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। पिछले व्यापमं कांड में ऐसे कई प्रभावी लोगों के शामिल होने की संभावना थी जो आज भी बड़े पदों पर विराजमान हैं। उनमें

प्रश्न और उनके उत्तर पुस्तिका थी। इसके बाद मैंने इस पर फेसबुक में एक पोस्ट डाला जिमसें एक व्यापमं का वर्ग-3 का पेपर किसी लक्स मन के मोबाइल तक कैसे पहुंचा इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए।

■ आपने तो किसी विशिष्टि के बारे में कोई टिप्पणी नही की तो आप पर मामला कैसे दर्ज हुआ?

▸▸ दरअसल मेरे फेसबुक के पोस्ट पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे द्वारा लिखे लक्स मन को उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्स मन (जैसा कि वो सामान्यतः अपना नाम लिखते है) सिंह मरकाम से जोड़ दिया। मुझ पर यह मामला बनता ही नही है।

■ फिर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने आपके खिलाफ मामला क्यों दर्ज कराया?

▸▸ यह मेरी समझ से भी परे है। जब मैंने उस व्यक्ति का कहीं उल्लेख नही किया तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अजाक थाने में केस दर्ज क्यों कराया। दूसरी बात अगर इनका नाम आया है तो इनका मोबाइल जप्त करके पुलिस ने जांच क्यों नही की। मुझे लगता है कि व्यापमं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान का नाता जो मैंने पहले भी खोला था और अब जब इसके बारे में लिखना चालू किया तो मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

■ तो क्या सरकार आपको व्यक्तिगत टारगेट कर रही है?

▸▸ बिलकुल सरकार मुझे टारगेट कर रही है। हो सकता है कि मेरे सामाजिक चेतना व घोटालों के उजागर करने के कारण इनको तकलीफ होती हो। मैं आपको बिन्दुबार जानकारी देकर बता सकता हूं कि सरकार कैसे मुझे टारगेट कर रही है। 01 अप्रैल को मैंने एफआईआर को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी व फैसला मेरे पक्ष में आया। सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने की दरखास्त की और मामले को दूसरी बैंच में ले जाकर सुनवाई 04 अप्रैल 2022 को रखी गई। इस मामले में भारत के सोलीसीटर जनरल को मोटी फीस देकर और उनके साथ मध्यप्रदेश के महाअधिवक्ता सरकार की तरफ से मेरे खिलाफ पेशी में खड़े हुये जबकि यह मामला दो लोगों के बीच का है वो भी मामूली एक्ट्रोसिटी एक्ट को लेकर है। यह मामला मेरे (शासकीय अधिकारी) और लक्ष्मण सिंह मरकाम (शासकीय अधिकारी) के बीच का है तो इस छोटे मामले में सरकार की इतनी रूचि क्यों ले रही है। इससे और आगे जाकर 04 अप्रैल के जजमेंट में मेरी गिरफ्तारी पर रोक हटाने के लिये भारत सरकार के सोलीसीटर जनरल और उनके साथ मध्यप्रदेश सरकार के महाअधिवक्ता

सरकारी कर्मचारियों को भी राजनीतिक विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार।

नो बैन,सरकारी कर्मी भी बोलेगा

कोर्ट ने निलंबन किया खारिज : रैली में जाने पर महिला पर हुई थी कार्रवाई

नवभारत समाचार सेवा

दिल्ली. अदालत ने अब यह बात साफ कर दी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी बात पर बोलने से रोका नहीं जा सकता है. वह चाहे तो अपनी बात किसी भी माध्यम से कभी भी और कहीं भी रख सकता है.इसके लिए उसे रोका नहीं जा सकता है.अभी तक यह माना जाता रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को राजनैतिक मामलों और विशेष रूप से वर्तमान दौर में चल रहे सोशल मीडिया में कमेंट लिखने जैसे मामलों पर कार्रवाई से जूझना पड़ता है ,जिसके कई मामले देश में आ चुके हैं. ऐसे ही एक मामले पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है.त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसले में राजनीतिक रैली में शामिल होने और फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण नौकरी से निलंबित की गई एक महिला कर्मचारी का निलंबन खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, 'सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है.'

कोर्ट ने कहा कि त्रिपुरा सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1988 के रूल 5 के तहत प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने कहा, 'याचिकाकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में बोलने की आजादी से अछूता नहीं रखा जा सकता है.ये एक मौलिक अधिकार है, जिस पर पाबंदी सिर्फ कानून के आधार पर लगाई जा सकती है. आचरण नियमों के नियम 5 के उप-नियम 4 के तहत तय की गई सीमारेखा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने विचार रखने और अपने तरीके से जाहिर करने का अधिकार है.'

रिटायरमेंट से 4 दिन पहले गिरी थी गाज

लिपिका पॉल नाम की याचिकाकर्ता को उनके रिटायरमेंट से 4 दिन पहले ही राज्य मछली पालन विभाग ने दिसंबर 2017 में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने और फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट लिखने के कारण निलंबित कर दिया था.

केरल में भी हुआ था ऐसा

पिछले साल केरल हाईकोर्ट ने वाट्सएप पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी प्रसारित करने के कारण निलंबित किए गए केएसआरटीसी कंडक्टर को बहाल करने के लिए राज्य को निर्देश दिया था. जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक ने अपने आदेश में कहा था, 'किसी को भी सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसे उसके विचार व्यक्त करने से मना नहीं किया जा सकता है. एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक संस्थान लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित होते हैं, सही आलोचना एक सार्वजनिक संस्थान को संचालित करने का एक बेहतर तरीका है.'

माननीय त्रिपुरा न्यायालय द्वारा राजनैतिक रैली में और फेसबुक में लिखने के कारण सरकारी निलंबन झेल रही महिला को राहत देते हुये आदेश सुनाया कि सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है।

से कुछ की तो आकस्मिक मृत्यु भी हो गई है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की मौत भी अभी तक संदेहास्पद है क्योंकि वो व्यापमं कांड के आखरी गवाह थे। ऐसे में व्यापमं कांड- 2 का मामला दोबारा सामने आने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं प्रदेश में फिर से मौतों का सिलसिला न शुरू हो जाए।

2011 में सामने आया था व्यापमं

MP-TET परीक्षा घोटाला

ने अदालत में झूठ बोला कि मैंने लक्स मन सिंह को (मतकाम) कहा, ऐसा उन्होंने माननीय अदालत के सामने बोला यह गौंड़ी भाषा में गाली होती है और इसे मैंने लक्ष्मण सिंह मरकाम को दी। जबकि गौंड समाज के बुद्धिजीवियों ने शपथ-पत्र देकर भोपाल जिला न्यायालय में बतलाया कि मतकाम शब्द गौंडी भाषा में कोई गाली नही होती। झूठ बोलकर मेरी गिरफ्तारी के आदेश निकलवाया गया।

■ आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गये थे ?

▶▶ मेरे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद माननीय अदालत ने हाईकोर्ट के 04 तारीख के जजमेंट को नलवॉईड कर दिया। पर मुझे बड़ा आश्यर्च हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने मेरे खिलाफ सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता माखिजा और पीएस पटवालिया को खड़ा किया। जबकि यह मामला बहुत छोटा है। शासन की ओर से इन सब वकीलों को एक करोड के लगभग का भुगतान दिया गया। इस पर तो लोकायुक्त में पद का दुरूपयोग का मामला बनता है।

■ आपको राहत कब मिली ?

▶▶ सरकार द्वारा प्रताड़ना का दूसरा अध्याय मेरी जमानत के बाद चालू हुआ। दिनांक 09 अप्रैल 2022 को भोपाल न्यायालय से बेल मिल गई। इसके बाद मुझको जानकारी मिली कि मानपुर में मेरे द्वारा किसी आंदोलन में भाग लेने का कोई नौ माह पुराना मामला को आधार बनाते हुये मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी एवं मुझे गिरफ्तार करने के लिये पुलिस आ गई। ऐसी मुझे खबर मिली। इस पुराने मामले में आंदोलन के लिये भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उल्लेखनीय है कि मुझे बिना नोटिस दिये गिरफ्तार करना वह भी 09 माह पुराने केस में असंवैधानिक है।

■ आपके आगे के क्या कदम रहेंगे ?

▶▶ मेरा युवाओं और बेरोजगारों के बीच में काम करने और उनके मुद्दे उठाने के कारण मैं इस भाजपा सरकार की रडार में हूँ। मुझे कहा जाता है कि मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आंदोलन में भाग लेता हूँ। जबकि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि आप किसी को आंदोलन करने से नही रोक सकते। अगर सरकार समझती है कि आनंद राय को फर्जी मुकदमों से दबा देंगे तो वह चुप हो जायेगा तो उनकी सोच गलत है। मैं सच्चाई को सामने लाने के लिये हमेशा लड़ता रहूंगा।

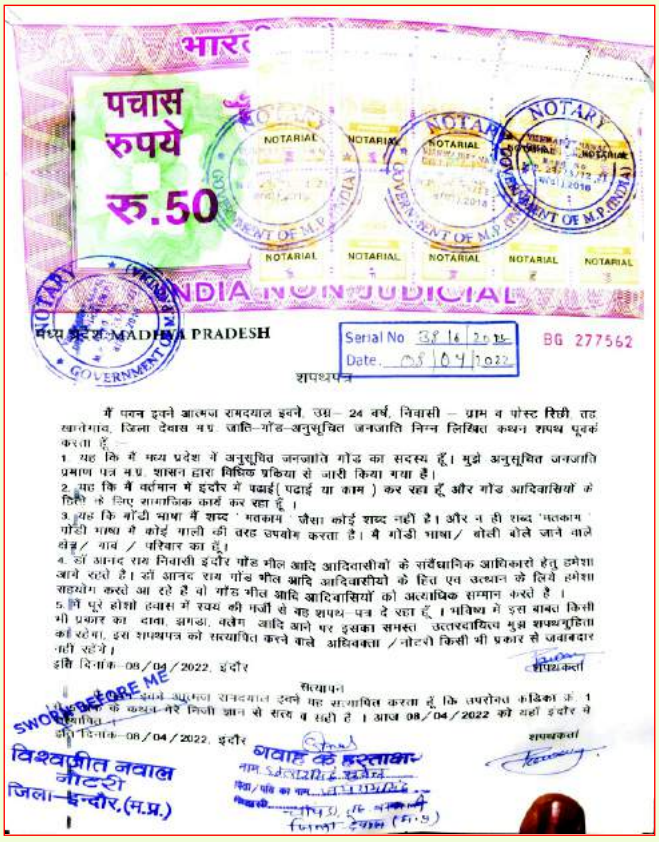

इस जैसे बहुत सारे शपथ–पत्र गौंड समाज के बुद्धीजिवियों ने माननीय भोपाल जिला न्यायालय को भेजा जिसमें उन्होंने बताया *मतकाम* शब्द गौंडी भाषा में कोई गाली नहीं होती जिसका उपयोग करके सरकारी वकीलों ने झूठ बोल कर डॉ आनन्द राय के खिलाफ जबलपुर उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निकलवाया।

कांड-1- मध्यप्रदेश में अब तक हुए भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामले में वर्ष 2011 में सामने आया व्यापमं घोटाला-1 सुर्खियों में अभी भी है। दरअसल व्यापमं पार्ट-1 घोटाले को बहुत ही चालाकी से सिर्फ पीएमटी और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं पर मोड़कर रख दिया गया। इसमें एक घोटाला था जिसे लगभग दबा दिया गया। हालांकि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट के

MP-TET परीक्षा घोटाला

गलती से MP-TET घोटाला का राज़ खुला

मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा के लिये MP-TET परीक्षा मे लिये 17 हजार हाईस्कूल और 5670 मिडिल स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी–फरवरी–2020 में फार्म खोले गये, जिसमें इस परीक्षा में 150 प्रश्नों का प्रश्नपत्र के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाना था। यह परीक्षा 05 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक ली जानी थी। एक छात्र मदनमोहन दोहरे MP-TET परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने 25 मार्च 2022 को भोपाल स्थित रायसेन रोड के स्कूल में परीक्षा देकर दोपहर की 3:00 बजे वाली अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस से ग्वालियर लौटने का टिकट लिया। उसकी सामने वाली सीट पर बैठे युवक से बात करने पर उसे पता चला कि वह धौलपुर में एक डीएड कालेज का संचालक है। बातचीत करने पर उस युवक ने मदन मोहन दोहरे को अपने मोबाइल में 36 स्क्रीन शार्ट दिखाये, जो कि ऐसा प्रतीत हुए कि वह परीक्षा केन्द्र से परीक्षा देते वक्त अभ्यार्थी की स्क्रीन से खींचा गया था। दोहरे ने कुछ स्क्रीन शार्ट अपने मोबाइल पर ले लिये, उसने उस कालेज संचालक से पूछा कि आपको यह पेपर कहां से मिला, जवाब में उसने कहा कि पेपर पहले ही पहुंच जाता है इसके लिये 04 से 05 लाख रूपये खर्च करने पड़ते हैं। दोहरे ने जब प्रश्नों से मिलान किया तो वह सौ प्रतिशत वही पेपर निकला। उसे समझ में नही आ रहा था कि यह परीक्षा वेब आधारित थी, जिसमें प्रश्नों का उत्तर मार्क करने के बाद और सबमिट करने के बाद स्क्रीन चली जाती है तो पेपर कहां से कैसे आउट हुआ। यह फोटो कैसे उस व्हाटसअप नम्बर पर आये जहां से इसका स्क्रीन शाट लिया गया। मदन मोहन दोहरे ने इस परीक्षा पर सवाल खड़े किये और ये खींचे हुये स्क्रीन शार्ट कुछ परीक्षार्थियों के व्हाटसअप ग्रुप में डाल दिये। वहां किसी मेहरबान सिंह वर्मा ने इनसे कुछ स्क्रीन शाट मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को ट्वीट किये। जिसमें उन्होंने सवाल उठाये कि MP-TET पेपर लक्ष्मण सिंह के मोबाइल पर कैसे आये, क्या इस प्रकार सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता रहेगा? बेरोजगारों की प्रतीभा का हनन ऐसा ही होता रहेगा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराये कठोर कार्यवाही हो। वहां से MP-TET परीक्षा घोटाले का खुलासा हुआ। बड़ी विडम्बना है कि मध्यप्रदेश के 50 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली यह परीक्षा जिसमें करीब 9.5 लाख अभ्यार्थी बैठे थे, उनके भविष्य पर यह बेरोजगारी घोटाला करके एक कुठाराघात किया है। सरकार ने उनके इस बेबसी को भी नही समझा की कैसे यह अभ्यार्थी दिन–रात एक करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे थे पर उससे पहले ही सत्ता और उससे जुड़े लोगों ने इनके भविष्य को ही बेच डाला। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड (व्यापमं) शुचिता एवं पारदर्शिता का इतना दावा कर रहा है उन्होंने आंसरसीट जारी करने के बाद उसे तत्काल अपनी ऑफिशियल वेबसाईट से क्यों हटा दिया। दरअसल आंसरसीट और पेपर आऊट हुये स्क्रीन शार्ट दोनों का तुलनात्मक अध्ययन वाले फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गये। इस फजीहत के बाद व्यापमं ने आनन–फानन में उत्तरपुस्तिका अपनी अधिकृत साईट से हटा दी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि व्यापमं ने इस परीक्षा को निरस्त नही किया। जबकि ऐसा ही मामला राजस्थान में रीट घोटाला सामने आने पर उस परीक्षा को निरस्त कर दिया था।

हस्तक्षेप होने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन अब तक इस पूरे मामले के मास्टर माइंड का पर्दाफाश नहीं हो सका है। ऐसे में अब व्यापमं कांड-2 और -3 का मामला सामने आ गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकार की कार्यशैली पर सवालियां निशान खड़े कर दिये हैं। सरकार ने किसी तरह से प्रदेश की छवि बदलने के लिए व्यापमं का नाम बदलकर पीईबी (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) किया था। लेकिन अब उसे एक बार फिर बदलकर मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया है। इसका नाम बदलते ही यहां हुए एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है।

MP-TET परीक्षा घोटाला

व्यापमं की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ है- विक्रांत भूरिया, अध्यक्ष, मप्र युवा कांग्रेस

मप्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक।

मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने पीईबी द्वारा 2022 में आयोजित तीनों (कृषि विस्तार अधिकारी, एमपी पुलिस भर्ती और एमपी पात्रता शिक्षक भर्ती) परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा पर इनका कहना है कि इस परीक्षा में 10 ऐसे केंडीडेट हैं जिनके नंबर एक समान हैं और ये सभी विजयाराजे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के हैं। इनका संबंध प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से हैं। निश्चित ही इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं पुलिस भर्ती पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जो सुबह एलिजिबल होते हैं और शाम को अनएलिजिबल हो जाते हैं। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता केके मिश्रा और डॉ. आनंद राय पर हुई एफआईआर पर उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी तरीके की गई है। यह सब मामले को दबाने के लिए किया गया है। ताकि डर के कारण यह लोग मामले को और ज्यादा न उठा पाये। एमपी टीईटी परीक्षा में जो पेपरलीक हुआ है वह प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज से लीक हुआ है। उसके तो अब सबूत आ गए हैं। फिर सरकार कैसे कह सकती है कि परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है।

विक्रांत भूरिया का कहना है कि व्यापमं का यह पहला मामला नहीं है, जब सरकार कठघरे में खड़ी हो रही है। हमने देखा है कि पहले भी पीएमटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं व्यापमं कांड में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। इन्होंने कहा कि वाकई में सरकार निर्दोष है तो किसी प्रतिष्ठित संस्था से निष्पक्ष जांच कराये।

व्यापमं एक प्रोफेशनल एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है, जिसके तहत राज्य में प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और कई सरकारी नौकरियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर वर्ग-1 और वर्ग-2 और पुलिस भर्ती एग्जाम होते हैं। यह एक मंडल के रूप में

MP-TET परीक्षा घोटाला

पेपरलीक मामले में अब सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही-आशीष कुमार चतुर्वेदी

दिनांक 25 मार्च 2022 को म.प्र. व्यापमं द्वारा आयोजित की गई प्राथमिक शाला पात्रता परीक्षा MP-TET की आनलाईन परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र के कुछ भाग मोबाइल पर लीक हुए, जिससे परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक हुए स्क्रीन शाट में लक्ष्मन सिंह नाम से मोबाइल पर दर्शित स्क्रीन शार्ट में परीक्षा के प्रश्न पत्र दिखाई दे रहे हैं। MP-TET परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े में मैप आईटी की प्रारंभिक जांच में सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट के कम्प्यूटरों से यह पेपर वॉयरल हुआ था। इसी केन्द्र के एक परीक्षार्थी का स्क्रीन शार्ट कब लिया, कैसे लिया, किसने लिया इस संबंध में कोई जांच नही की गई। वर्तमान में उक्त संबंध में समाचार पत्रों में भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से यह परीक्षा पत्र लीक होकर किन–किन माध्यमों से होकर यह लक्ष्मन सिंह नाम के मोबाइल धारक का पता लगाकर उनके मोबाइल जप्त किये जाये एवं उसकी फॉरेन्सिक जांच की जाये। पूर्व में भी व्यापमं की पृष्ठभूमि के कारण मध्यप्रदेश की छवि खराब हुई। इसके बाद भी इस प्रकार के घोटालों की जांच न किया जाना एवं दोषियों के विरूद्ध अब तक कोई एफआईआर दर्ज न होना यह अत्यंत खेद का विषय है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैंने दिनांक 04 अप्रैल 2022 को थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच भोपाल को शिकायत पत्र लिखकर उक्त अपराध में संलिप्त दोषियों के विरूद्ध आईपीसी सीआरपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह किया। पेपर लीक के दोषियों पर आज दिनांक तक कोई एफआईआर नही की गई। जबकि वर्तमान में इस संबंध में समाचार पत्रों में भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से यह परीक्षा पत्र लीक किया गया था, जिसके बाद यह जाँच नितांत आवश्यक है। परीक्षा पत्र किसने लीक किया। इस परीक्षा पत्र परीक्षा से पूर्व किस–किस तक किन–किन माध्यमों से पहुंचा, यह लक्स मन सिंह कौन है, मोबाइल धारक का पता लगाया जाकर संबंधित एवं पार्टी का मोबइल जब्त किया जावें एवं फोरेसिंक जांच कराई जाकर सत्यता पता लगाई जाए।

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी
थाना क्राईम ब्रांच भोपाल
भोपाल म0प्र0

विषय– MP-TET परिक्षा मे हुऐ घोटाले एंव भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषीयो के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किऐ जाने के संबंध मे शिकायत पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे लेख है कि विभिन्न माध्यमो से मेरे संज्ञान मे आया है कि दिनांक 25 मार्च 2021 को म0प्र0 व्यापम द्वारा आयोजित कि गई प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परिक्षा MP-TET की ऑनलाईन परिक्षा का प्रशन पत्र एंव प्रशन पत्र के कुछ भाग मोबाईल पर लीक हुआ जिससे परिक्षा की गोपनीयता भंग हुई है उक्त परिक्षा के प्रशन पत्र के लीक हुऐ स्क्रीन शॉट मे laxman singh के नाम से मोबाईल पर दर्शित स्क्रीन शॉट मे परिक्षा के प्रशन एंव प्रशन पत्र दिखाई दे रहे है ।

यह कि MP-TET परिक्षा मे हुऐ फर्जीवाड़े के संबंध मे मेपआईटी की प्रारंभिक जाँच के दौरान सागर के **ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट** के कम्प्यूटरो की जाँच की गई तो पता चला कि वायरल पेपर इसी केन्द्र के एक परिक्षार्थी का था यह स्क्रीन शॉट कब लिया गया यह पता अभी तक नही चल सका न ही अब तक इस संबंध मे कोई जाँच की गई है ।

यह कि व्यापम की पूर्व की पृष्ठ भूमि के कारण सम्पूर्ण विश्व मे म0प्र0 की छवी खराब हुई जिसके बावजूद भी पुनः इस प्रकार के भर्ती परिक्षाओ मे किऐ जा रहे घोटाले भ्रष्टाचार की जाँच न किया जाना एंव दोषियो के विरूद्ध अब तक कोई एफआईआर दर्ज न किया जाना अत्यंत खेद का विषय है ।

जबकि इस संबंध मे व्यापम के एक अन्य व्हिसिलब्लोअर एंव मेरे साथी डॉ0 आनंद राय द्वारा भी सूचना दे दी गई थी जिसके बावजूद भी पेपर लीक के दोषीयो पर आज दिनांक तक कोई एफआईआर नही की गई जबकि वर्तमान मे उक्त संबंध मे समाचार पत्रो मे भी स्थिती स्पष्ट हो गई है कि म0प्र0 सरकार के **परिवाहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत** के कॉलेज से यह परिक्षा पत्र लीक किया गया था जिसके बाद यह जाँच नितांत आवश्यक है कि परिक्षा पत्र किसने लीक किया उक्त परिक्षा पत्र परिक्षा से पूर्व किस–किस तक किन–किन माध्यमो से पंहुचा यह laxman singh कौन है उक्त मोबाईल धारक का पता लगाया जाकर संबंधित A एंव B पार्टी का मोबाईल जब्त किया जावे एंव फोरेसिंक जाँच कराई जाकर सत्यता पता लगाई जावे ।

अतः आपसे पत्र के माध्यम से अपेक्षा है कि उक्त शिकायत पत्र से जाँच कर उक्त अपराध मे संलिप्त दोषीयो के विरूद्ध आईपीसी/सीआरपीसी मे वर्णित प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज करने का कष्ट करे ।

दिनांक 04.04.2022

आशीष कुमार चतुर्वेदी
गली नं0 5 नाका चन्द्रबदनी
लश्कर ग्वालियर म0प्र0
मोबाईल 09165661030

काम करता है। पिछले कुछ वर्षो में व्यापमं परीक्षा घोटाले में तब्दील तब हो गया। इसमें ऐसे लोगों को पास किया गया, जिनमें एग्जाम में बैठने तक की योग्यता नहीं थी। और तो और तमाम सरकारी नौकरियों से लेकर तक हजारों लोगों की भर्तियां नियमों

MP-TET परीक्षा घोटाला

चिन्हित अपराधियों को बचा रही है सरकार-के.के.मिश्रा

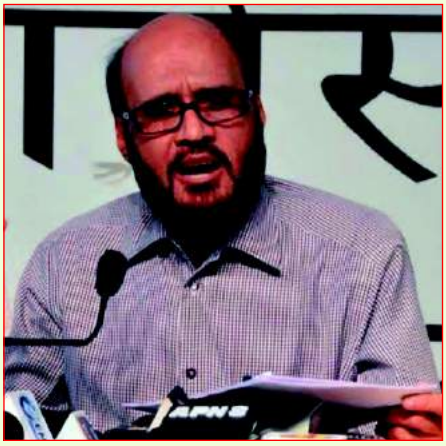

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.के. मिश्रा ने प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हाल ही में पीईबी द्वारा आयोजित की कृषि विस्तार अधिकारी, एमपी-टीईटी और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्ट्चार में कई रखूसदार लोगों की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह व्यापमं कांड पार्ट-1 में भ्रष्टाचारियों को बचाया था, ठीक वैसे ही व्यापमं कांड-2 और व्यापमं कांड-3 के दोषियों को बचाया जा रहा है। के.के. मिश्रा ने कहा कि सरकार भले ही व्यापमं का बदलकर कोई दूसरा नाम रख दें लेकिन इससे भ्रष्टाचार की कालिख खत्म नहीं होगी। कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ती रहेगी और दोषियों को सजा दिलाकर रहेगी। साथ ही प्रदेश के लाखों नौजवानों को न्याय दिलाकर ही रहेगी। उनका मानना है कि निश्चित ही व्यापमं कांड के इस फर्जीवाड़े से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।

MP-TET परीक्षा के अभ्यर्थी सौरभ विश्वकर्मा ने अपने भविष्य से खिलवाड़ करने से लेकर मुख्यमंत्री को लगाई गुहार

सौरभ विश्वकर्मा नाम के अभ्यर्थी ने 10 मार्च 2022 MP-TET की परीक्षा दी। जिसमें उनके 108 नम्बर आये चूंकि यह परीक्षा 25 मार्च 2022 तक चलनी थी तो आंसरसीट के लिये इंतजार करना था ताकि परीक्षा में गलत उत्तर पर आपत्ति लगाई जा सके। पर अभ्यार्थी को पता चला कि 25 मार्च 2022 को प्रथम पाली में हिन्दी अंग्रेजी के सभी प्रश्नों वही थे जो स्क्रीन शाट में थे। अभ्यर्थी सौरभ विश्वकर्मा के पास एक अंजान नम्बर से फोन आया जिसमें उन्होंने पूछा कि आपने परीक्षा दी है। सौरभ ने परीक्षा में 108 नम्बर आना बतलाया तो उक्त व्यक्ति ने कुल 10 लाख रूपये की मांग की। इसमें वर्तमान में 5 लाख एवं बाद में 5 लाख देने का उन्होंने बोला। इन सब को लेकर और युवाओं के भविष्य को अंधकार में जाता देखकर सौरभ ने सीबीआई जांच की मांग की इसके लिये अन्य अभ्यर्थियों के साथ पीईबी (व्यापमं) दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, आरटीआई लगवाई इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उनके मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। सवाल यह उठता है कि जिन अभ्यर्थियों को दिन-रात अभ्यास में लगकर इन सब चीजों के बारें में सोचना भी नही चाहिए था उनको भोपाल में जांच करवाने के लिये जूते घिसने पड़ रहे है।

को ताक पर रखकर की गई। खासकर वो नौकरियां व प्रवेश जो 2011 के बाद परीक्षाओं के तहत दिये गये। इस घोटाले में बड़े-बड़े मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों और व्यापारियों से लेकर क्लर्क ग्रेड तक के लोगों के नाम आ रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम

MP-TET परीक्षा घोटाला

MP-TET परीक्षा पर सवाल खड़े किए मदन मोहन दौहरे ने

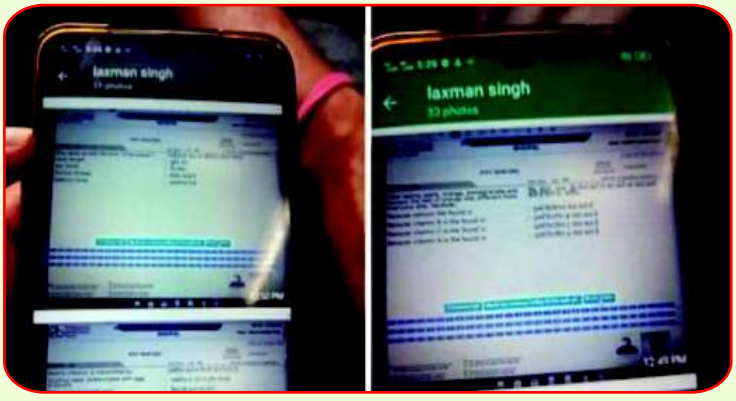

MP-TET परीक्षा का पर्दाफाश करने का पहला मामला मदन मोहन दौहरे के माध्यम से बाहर आया। इसकी शुरूआत तब हुई जब मदन मोहन 25 तारीख को MP-TET का पेपर देकर ग्वालियर लौट रहा था। वहीं पर उसे इस रैकेट एक मोहरा मिला। मदन का कहना है कि इस एजेंट से हुई बातचीत में वह सब सच्चाई थी जो इशारा कर रही थी कि वाकई में कोई रैकेट जरूर है। एजेंट ने वह पूरा अपने मोबाइल में दिखाया जो हू–बू–हू वैसा था जैसा पेपर में आया था। उसके बाद मदन मोहन ने MP-TET पर सवाल खड़े किए हैं। उसने पेपर लीक का दावा करते हुए परीक्षा में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। उसने कहा कि 25 मार्च 2022 को वह भोपाल के रायसेन रोड स्थित एक स्कूल में MP-TET की परीक्षा देने गया था। जब वह लौट रहा था, तो उसे एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल में पूरा पेपर दिखाया, 100 प्रतिशत पेपर मैच कर रहा था। वह प्राथमिक शाला वर्ग–3 की परीक्षा MP-TET के तहत देने के लिए 25 मार्च को भोपाल आया था। इसके बाद उस युवक ने बताया कि MP-TET में सिलेक्शन के लिए रैकेट चलता है। उसने अपने मोबाइल में परीक्षार्थी को MP-TET में उसी दिन आया पेपर दिखाया। एजेंट ने परीक्षार्थी मदन मोहन को बताया कि ग्वालियर, भोपाल में कई कॉलेज में सब कुछ पहले से सेट होता है। पेपर पहले ही पहुंच जाता है। इसके लिए 04 से 05 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस पर परीक्षार्थी ने जब कॉलेज के नाम पूछे तो उसने नहीं बताए। मदन मोहन शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है।

आ रहे हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर घूस लेकर लोगों को नौकरियां व प्रवेश परीक्षाओं में हाई रैंक दिलायी है। व्यापमं घोटाला मध्यप्रदेश से जुड़ा प्रवेश एवं भर्ती घोटाला है, जिसके पीछे कई नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यवसायियों का हाथ है।

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

व्यापमं कांड में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष

सहायक कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में घोटाला

10 और 11 फरवरी 2021 को सहायक कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इसमें फिसड्डी छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की है। आरोप है कि जिन छात्रों ने टॉप किया है वे छात्र व्यापमं घोटाले के आरोपी रह चुके हैं, जो पीएचडी के छात्र हैं, वह डेढ़ सौ से ज्यादा अंक नहीं ला सके, लेकिन इन फिसड्डी छात्रों के 200 में से 194 नंबर तक आए हैं। छात्रों का आरोप है कि ये सभी टॉप छात्र भिंड, मुरैना और ग्वालियर के हैं। पड़ताल में पता चला कि कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में शीर्ष स्थान काबिज करने वाले उम्मीदवारों ने एक ही कॉलेज से बीएससी की है। इन्हें परीक्षा में एक जैसे मार्क्स मिले और गलतियां भी एक जैसी की। इतना ही नहीं, सभी 10 चंबल क्षेत्र के हैं और इनमें से 09 एक ही जाति के भी हैं। 17 फरवरी 2021 को आंसरशीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। ताजुब यह है कि जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है। कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है।

इन रोल नंबर्स पर है संदेह– ***12, ***15, ***03, ***88, ***74, ***62, ***97, ***92, ***94

व्यापमं राज्य में कई प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्व-वित्त पोषित और स्वायत्त निकाय है। ये प्रवेश परीक्षाएँ, राज्य के शैक्षिक संस्थानों में तथा सरकारी नौकरियों में दाखिले और भर्ती के लिए

वी.डी. शर्मा की संलिप्तता उजागर!

क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के करीबी हैं कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा के टॉपर?

बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ लाल गोले में दिखाई दे रहे संजय शर्मा, बलराम त्यागी, निवेश शर्मा और सोहन शर्मा है, जो टॉपर हैं। इससे ही स्पष्ट होता हैं ये सभी कहीं न कहीं वीडी शर्मा के करीबी हैं।

पीईबी द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर बड़ा आरोप है। परीक्षा के चार टॉपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के करीबी हैं। वीडी शर्मा के साथ टापर की तस्वीरें भी शेयर की हैं। परीक्षा के चार टॉपर्स बलराम त्यागी, संजय शर्मा, निवेश शर्मा और मोहन शर्मा की वीडी शर्मा के साथ तस्वीरों

आयोजित की जाती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं में तथा नौकरियों में अपात्र परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को बिचौलियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं राजनेताओं की मिलीभगत से रिश्वत के लेनदेन और भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रवेश दिया गया एवं

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

को शेयर किया है। साथ ही इसे आपदा में घोटाले के अवसर की संज्ञा दी है। मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश भी दे दिए थे।

इन परीक्षार्थियों के सहपाठियों और परिचितों के मुताबिक परीक्षा के बाद ये छात्र यह कहते नजर आए थे कि अपना सिलेक्शन तो पक्का है। परीक्षार्थियों के एक जैसे अंक आना और एक जैसी गलतियां करना साजिश है या संयोग इसकी जांच की जा रही है।

तीन का सरनेम भी एक- टॉपर्स में तीन सामान्य श्रेणी के हैं। परीक्षा के बाद 17 फरवरी 2021 को आंसरशीट के साथ सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई तो जनरल नालेज की परीक्षा में दस परीक्षार्थियों को एक जैसे अंक मिले। तीन टॉपर्स का सरनेम शर्मा है। परीक्षा के दस टापर्स के अंक एक जैसे थे। जब शिकायत के बाद पीईबी ने आंसर शीट जारी की तो उसमें तीन प्रश्नों के उत्तर गलत थे। बड़ी बात यह है कि इन सभी टॉपर्स ने भी इन तीन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए थे।

सीएम ने जाँच के आदेश दिए फिर भी अभी तक जाँच नहीं हुई

बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की भर्तियाँ की गयी। इन प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों को सूचित किया गया था और पहली एफआईआर 2009 में दर्ज हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने मामले की जाँच के लिए एक समिति कि स्थापना की। समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट जारी की और एक सौ से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

व्यापमं घोटाले की व्यापकता सन 2013 में तब सामने आई जब इंदौर पुलिस ने 2009 की पीएमटी प्रवेश से जुड़े मामलों में 20 नकली अभ्यर्थियों को गिरफ़्तार किया, जो असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने आए थे। इन लोगों से पूछताछ के दौरान जगदीश सागर का नाम घोटाले के मुखिया के रूप में सामने आया, जो एक

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

ये वहीं बेरोजगार, युवक हैं, जो व्यापमं काण्ड के शिकार हुए हैं और ईमानदारी से कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम देने के बाद भी रिजेक्ट हो गए हैं। विरोध के रूप में इन्होंने ग्वालियर में पहले पीईबी की अर्थी यात्रा निकाली और फिर अस्थियों को नाले में विसर्जित किया। विरोध का ऐसा स्वरूप शायद ही कहीं देखा होगा, लेकिन इन युवकों ने अपने साथ हुए अन्याय पर इस तरह का कदम उठाया।

संगठित रैकेट के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। जगदीश सागर की गिरफ़्तारी के बाद राज्य सरकार ने 26 अगस्त 2013 को एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की स्थापना की और बाद की जाँच और गिरफ्तारियों से घोटाले में कई नेताओं, नौकरशाहों, व्यापमं अधिकारियों, बिचौलियों, उम्मीदवारों और उनके माता-पिता की घोटाले में भागीदारी का पर्दाफाश हुआ। जून 2015 तक 2000 से अधिक लोगों को इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये। जिसमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और एक सौ से अधिक अन्य राजनेता भी शामिल थे। जुलाई 2015 में भारत के सर्वोच्च

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

आजाद देश की ये अर्द्धनग्न तस्वीर, सबको विचलित कर देती है। क्योंकि इन नौजवान युवकों की मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा।

शासन-प्रशासन की बर्बरता की ये तस्वीर उन बेकसूर युवकों की हैं, जो पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का विरोध कर रहे थे।

न्यायालय ने देश के प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जाँच स्थानांतरित करने के लिए एक आदेश जारी किया।

व्यापमं-1 से जुड़ी मुख्य बातें-

■ पहली एफआईआर साल 2000 में छतरपुर जिले में दर्ज हुई। 2004 में खंडवा में 7 केस दर्ज हुए।

■ वर्ष 2009 तक एक भी बड़ा

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

व्यापमं का एक और कारनामा 98 लाख बेराजगारों से 430 करोड़ की फीस वसूली

व्यापमं का एक और कारनामा प्रकाश में आया है। पिछले पांच साल में भर्ती परीक्षाओं के नाम पर 98 लाख युवाओं से 430 करोड़ रूपये की वसूली की है। वहीं कितनों बेरोजगारों का नौकरी मिली है इसकी जानकारी व्यापमं के पास नहीं है। इतनी भारी भरकम राशि का हिसाब किताब भी व्यापमं के पास नहीं है। हम जानते हैं कि प्रदेश में साल दर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कुल 2.5 बेरोजगारों में 50 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र 33 से 35 साल है। ये बेरोजगार व्यापमं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं। इतना ही नहीं व्यापमं द्वारा कई बार लोगों से वैकेंसी के नाम पर फार्म भरवा लिये जाते हैं और किसी कारण परीक्षाएं रद्द भी हो जाती है तो व्यापमं लोगों द्वारा दी गई फीस को वापिस भी नहीं करता है। चूंकि यह फीस करोड़ों में होती है क्योंकि व्यापमं के माध्यम निकलने वाली वैकेंसी में लाखों लोगों द्वारा फार्म भरे जाते हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि फीस वसूली का यह गोरखधंधा है, जो पिछले कई वर्षो से चल रहा है। ऐसी कई परीक्षाएं है जो किसी कारण से निरस्त हुई हैं। जिनकी फीस कभी भी वापिस नहीं हुई है। इस तरह प्रत्येक साल व्यापमं के पास करोड़ों रूपये फ्री फोकट में पहुंच जाते हैं। हम कह सकते हैं कि घोटाला करने से भी व्यापमं के अधिकारी एवं संलिप्त नेताओं का पेट नहीं भरता तो आनन-फानन में वैकेंसी निकाल देते हैं और अभ्यर्थियों की फीस हजम कर जाते हैं। फीस वसूली के नाम पर होने वाले इस गोरखधंधे पर आज तक सरकार ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है। सरकार की नाक के नीचे हो रहे फर्जीवाड़े में सरकार का फर्ज बनता है कि वह नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ तुरंत कोई एक्शन ले।

पिछले दो साल से प्रदेश के युवा कोरोना काल के कारण कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। व्यापमं को करना चाहिए कि वह इस दौरान होने वाली परीक्षाओं को निशुल्क करता और युवाओं को कुछ राहत देता लेकिन ऐसा तो नहीं किया उलटे फीस वसूली की।

- **व्यापमं- 86 लाख परीक्षार्थी, 71122 पद, परीक्षा फीस- 350 करोड़ रूपये।**
- **पीएससी- 12 लाख परीक्षार्थी, 05 हजार पद, परीक्षा फीस- 80 करोड़ रूपये।**
- **पटवारी परीक्षा- अक्टूबर 2017, 09 हजार पद, फीस- 38 करोड़ रूपये।**
- **एमपीएससी- 12 दिसम्बर 2017, 209 पद, फीस- 12 करोड़ रूपये।**
- **अपेक्स बैंक- 01 मार्च 2017, 1600 पद, फीस- 4.20 करोड़ रूपये।**

579 युवा हर साल कर रहे आत्महत्या

बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या प्रदेश में साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2001 में आत्म हत्या करने वाले युवाओं की संख्यो महज 80 के लगभग थी। जो 2016 में आकर 600 के लगभग हो गई। पिछले 15 साल में कोई 02 हजार के लगभग बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या की है।

मामला सतह पर नहीं आया, सारी मछलियां तालाब के अंदर बैठक कमाई करती रहीं।

■ 2009 में पीएमटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, जो वाकई में गंभीर थे। कमेटी बनायी गई और 100 से यादा गिरफ्तारियां हुई।

■ 2012 में एसटीएफ का गठन किया गया। जिसने 2013 में बड़े नामों के होने का जि किया लेकिन, खुलासा नहीं किया।

■ पहला नाम पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का आया। उनके साथ 100 से यादा नाम दर्ज हुए।

■ व्यापमं में तैयार की जा रही

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला

व्यापमं के तीन सूत्रधार

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा

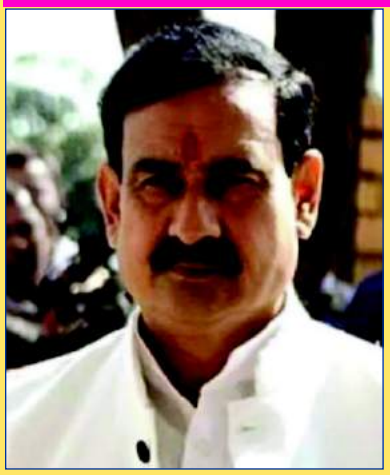

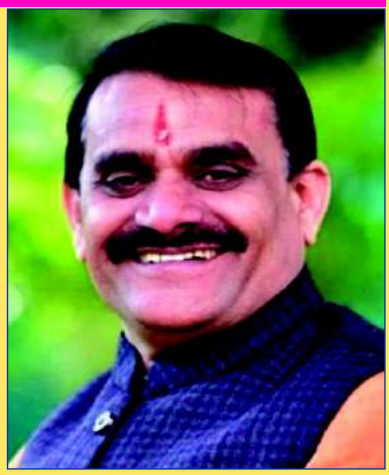

व्यापमं घोटाले-2 और व्यापमं घोटाले-3 में इस समय तीन सूत्रधार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा सामने निकल सामने आ रहे हैं। इन तीनों के इर्द-गिर्द ही पूरे घोटाले का ताना-बाना बुना गया है। वीडी शर्मा पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पीईबी द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में इनके करीबियों को मैरिट में स्थान दिलाया है। इस परीक्षा के परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है। यहां तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर मामले की जांच करने की बात कहीं थी। हालांकि जांच आज तक नहीं हुई है। जबकि दूसरे मामले में एमपी-टीईटी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, वह प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आदित्य राजपूत के कॉलेज से हुआ है। इस मामले में ज्यादा तूल पकड़ा तो आनन-फानन में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कॉलेज के संचालक आदित्य राजपूत को क्लीनचिट दे दी। सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा ने बिना जांच कराये कैसी इतने बड़े मामले में आदित्य राजपूत को क्लीनचिट दे दी। इन तीनों की कारगुजारियों को देखकर तो यही लगता है कि इस बार व्यापमं कांड में कहीं न कहीं इनकी भागीदारी है, जो नहीं चाहते कि इस मामलों को और ज्यादा उछाला जाये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो शुरू से ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन इस फर्जीवाड़े में फंसे लोग नहीं चाहते कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। इन्हें डर है कि कहीं व्यापमं कांड की जड़ों तक पहुंच जायेगा तो इनके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो जायेगा।

चार्जशीट में सिर्फ नेताओं के नहीं, बल्कि बिचौलियों, छात्रों, पुलिसकर्मियों, अभिभावकों के भी नाम दर्ज हैं।

■ व्यापमं में एक-एक परीक्षा पर सरकारी अफसर, बिचौलिये और छात्रों व आवेदकों के बीच बड़े तार पाये गये हैं।

■ एसटीएफ के मुताबिक 92,175 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किये गये, ताकि घूस देने वालों को हाई रैंक दिलायी जा सके।

परीक्षा के बाद जला दिये जाते थे फॉर्म- व्यापमं के अंतर्गत आवेदन करने वालों को प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं। लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों-बिचौलियों की सांठ-गांठ के चलते प्रवेश पत्र जारी करते वक्त सारी डीटेल छात्र की होती थी, लेकिन फोटो परीक्षा देने वाले पढ़े-लिखे परीक्षार्थी का। परीक्षा पूरी होने के बाद कंप्यूटर के डाटाबेस में जाकर बाकायदा फोटो बदली जाती थी। इस परीक्षा को देने के लिये मेधावी छात्रों को 02 से 05 लाख रुपए तक दिये जाते थे। इसके अलावा ओएमआर शीट में फर्जीफिकेशन करके और मेधावी छात्र को पैसा देने वाले

एम.पी. पुलिस घोटाला

पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 घोटाला

मध्यप्रदेश में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (व्यापमं) ने पुलिस मुख्यालय) गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिये चयन परीक्षा 2020 ऑनलाईन का आयोजन 08 जनवरी 2022 से 17 फरवरी, 2022 तक 13 शहरों में किया गया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधी भर्ती के कुल 8000 रिक्त पदों के लिये ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके साथ होमगार्ड अभ्यार्थियों सहित (रिक्त पदों का पांच गुना) कुल 31,208 अभ्यार्थी द्वितीय चरण परीक्षा के लिये पात्र हुये। इस परीक्षा के बाद 18 फरवरी 2022 को आदर्श उत्तर पुस्तिका वेबसाईड पर अपलोड कर अभ्यार्थियों के अभ्यावेदन हेतु आमंत्रित किये गये थे। इसमें से प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषय विषेज्ञों द्वारा समग्र रूप से विचार अध्ययन कर उत्तर को अंतिम रूप दिया गया। इसके आधार पर नार्मलाईजेशन पद्धति द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किया गया। परीक्षा परीणाम 17 मार्च 2022 को घोषित कर दिया गया। परीक्षा घोषणा के बाद ही पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला 2020 में अभ्यार्थियों के तरफ से रीजल्ट को लेकर घोटले का आरोप लगा। कई अभ्यार्थियों ऑनलाईन रिजल्ट में क्वालीफाई दिखाया गया, इसके बाद जब उन्होंने उसका प्रिंट आऊट निकाला तो उन्हें सेकेंड स्टेज में नाट क्वालीफाइड लिखा हुआ आया।

पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के मामले ने भी तूल पकड़ा। इस परीक्षा में पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई, जिसमें कई तरह की विसंगतियां होने की बात कही गई। इस मामले के सियासी रंग लेने पर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जांच मैप आईटी के सहयोग से कराए जाने का ऐलान करना पड़ा। पर आखिर कार मैप आईटी के पास ऐसा कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया है कि वह आपराधिक मामलों की विवेचना कर पाये। जो काम पुलिस का है उसे गृहमंत्री मैप आईटी से क्यों करवाना चाहते हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नरोत्तम मिश्रा के लिये है। आखिर बिना जांच के वो इन सब मामलों को क्लीनचिट चिट कैसे दे रहे हैं। जब प्रदेश का गृहमंत्री ही संदेह में हो तो निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिलना असंभव है। इस मामले की सही जांच हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित

छात्र के बगल में बिठाकर नकल करवायी जाती थी। सबसे अहम बात यह है कि एडमिट कार्ड का मिलान नहीं हो सके, इसलिये कंप्यूटर में डाटा फीड करने के बाद फॉर्म जला दिये जाते थे।

व्यापमं से जुड़ी गड़बड़ियां- 2007-

एम.पी. पुलिस घोटाला

एसआईटी या सीबीआई से ही हो सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश के गृहमंत्री के केन्द्रीय गृहमंत्री से भी अच्छे संबंध हैं तो सीबीआई जांच भी ढांक के तीन पात ही साबित होगी।

धांधली के शिकार एक अभ्यार्थी ने सोशल मीडिया पर रोते हुये कहा कि गडबडी हुई है, लेकिन मैं जांच की मांग करूंगा तो मेरे पीछे पड़ जायेंगे, वो बड़े लोग हैं। मैं शिकायत नही करना चाहता। भोपाल से भी कुछ उम्मीदवारों ने पहले शिकायत सोशल मीडिया में पोस्ट की। उसे बाद में खुद ही हटा लिया। पूछने में बताया कि परिवार में मैं इकलौता हूं, माता-पिता ने भी इस मामले में दूर रहने को कहा। गड़बड़ी तो हुई है लेकिन मैं इस मामले में पड़ना नही चाहता। रिजल्ट से अंसतुष्ट कई अभ्यार्थियों ने छतरपुर जिले में प्रशासनिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और रीजल्ट को दोबारा जारी करने की मांग की। इस दौरान एमपी पुलिस कांस्टेबल अभ्यार्थीयों ने स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रीजल्ट को लेकर छतरपुर जिले में किसी भी सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थी का चयन नही हुआ जबकि वो अभ्यार्थी की आंसरशीट के हिसाब से स्कोर अच्छा बताया गया था। इसको लेकर भी उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। एक अभ्यार्थी ने बताया कि एक ही परिवार के दो भाईयों ने एक का स्कोर 62 अंक एवं दूसरे का 72 अंक है पर 62 वाले का चयन हो गया और 72 वाले को अनक्वालीफाईड कर दिया। इस परीक्षा में कुल 12 लाख अभ्यार्थी शामिल हुये, जिसमें 13 शहरों के 74 परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ियां प्रदेश के हर जिले से आई हैं। एक तरफ प्रदेश की सरकार के गृहमंत्री युवाओं की बात करते हैं। वहां इस पुलिस भर्ती घोटाले की जांच करवाना भी उचित नही समझते। समझ से परे है कि आखिर इस सब मामले में इनकी संलिप्तता क्या है। एक तरफ शिकायत मिलने के बाद व प्रदर्शन होने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नही हुई हैं। धर्मेन्द्र नाम के छात्र जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं के 76 अंक के बाद नॉट क्वालिफाईड कर दिया गया। वहीं उनके मित्र 64 अंक लेकर भी क्वालिफाईड हो गये। भोपाल के नजीराबाद से 2 किमी अंदर रहने वाली सोना मालवीय ने आरोप लगाये कि वह 92 अंक लाने के बाद भी वह क्वालिफाईड नही हो पाई।

08 में व्यापमं में भारी वित्तीय अनियमितताएं पायी गईं। 2009 में पीएमटी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे और एक और एफआईआर दर्ज हुई। 2011 में व्यापमं के अंतर्गत पीएमटी परीक्षा के दौरान 145 लोगों पर शक गहरा

एम.पी. पुलिस घोटाला

मंत्री नरोत्तम के कारण अभ्यर्थी विकास मीणा के किसान माता-पिता अब मजदूरी करने को हुये मजबूर

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने जूनापानी गांव के रहने वाले एक अभ्यर्थी विकास मीणा के परीवार को खेती किसानी से अब मजदूरी करने को मजबूर हो गया है। दरअसल पढ़ाई के लिये विकास के पिता ने अपनी दो एकड़ जमीन गिरवी रख दी थी। पुलिस भर्ती परीक्षा में उसके 77 नंबर आए थे। 24 मार्च 2022 को 10 बजे उसका रिजल्ट आया, करीब 11 बजे रिजल्ट देखा। उसमें विकास को क्वालिफाइड बताया था, लेकिन जब 25 मार्च 2022 को उसके एक दोस्त ने रिजल्ट देखा तो उसमें विकास को नॉट क्वालिफाईड बताया गया। कट ऑफ 68 नंबर है और विकास के 77 नंबर आए हैं, यानी कट ऑफ से 9 नंबर यादा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर उठ रहे सवालों के बीच बेरोजगारों का दर्द भी रुला रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि जिस सपने को हासिल करने के लिए उन्होंने रात-दिन पढ़ाई की, न शादी में गए, न किसी के जन्मदिन में, नंबर भी अच्छे आए, लेकिन नौकरी की दहलीज पर आकर व्यवस्था ने उन्हें दुत्कार दिया। उनका सवाल है कि आखिर उनका क्या कसूर? ज्यादा नंबर लाकर भी वे सिलेक्शन लिस्ट से कैसे बाहर हो गए? कोई सवाल पूछ रहा है कि उससे कम नंबर वाले कैसे सिलेक्ट हो गए? किसी का दर्द है कि वे आने वाली पीढ़ियों से पढ़ने के लिए कैसे कहेंगे? आर्मी के एक्स सर्विसमैन का दर्द है कि उनके लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन रखा गया था। यानी करीब 600 सीटें रिजर्व थीं। एक भी एक्स सर्विसमैन को क्वालीफाइड नहीं बताया गया है। यदि ऐसा है तो फिर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन का क्या फायदा?

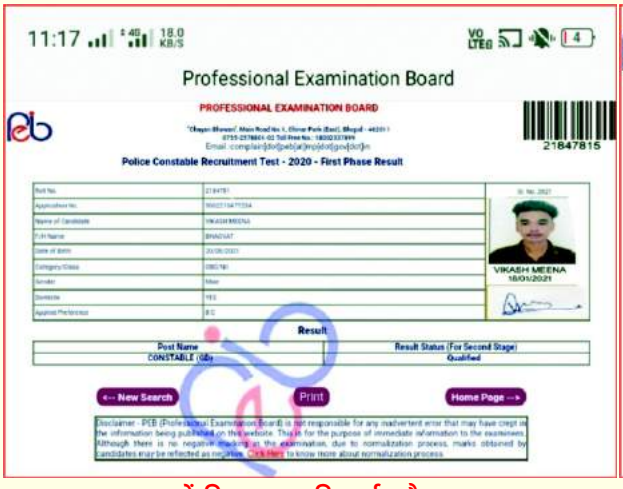

इसमें विकास क्वालिफाईड है।

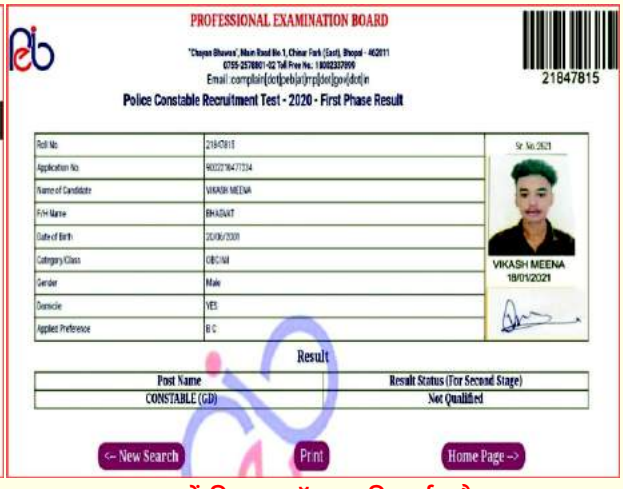

इसमें विकास नॉट क्वालिफाईड है।

गया। 2011 में 8 छात्र पीएमटी परीक्षा में रंगे हाथों पकड़े गये। ये वो थे जो 3-4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में बैठे थे। उसी के बाद व्यापमं ने बायोमीट्रिक के जरिये फोटो के साथ-साथ उंगलियों के निशान भी मिलाने शुरू किये। काउंसिलिंग के दौरान भी उन्हीं

परिवहन आरक्षक घोटाला-2012

तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा थे संदेह के घेरे में

जगदीश देवड़ा पर कार्यवाही होती तो शायद और कांड नहीं होते

व्यापमं ने 12 अगस्त 2012 को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। इसमें 198 परिवहन आरक्षकों की भर्ती की जानी थी। परिवहन विभाग हमेशा से मालदार पोस्टिंग वाला विभाग हुआ करता था, पर 2008 के बाद इसमें भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। पर इस परीक्षा में घोटाला हुआ। इसका राज तब खुला जब इसकी शिकायतें आई। बात तब की है जब हर रोज़ व्यापमं में कोई न कोई घोटाला खुल रहा था उस समय एसटीएफ ने डिजिटल फोरेंसिक जांच में इंदौर के कंसलटेंट एवं एक्टिविस्ट प्रशांत पांडे की मदद ली। प्रशांत के पास हार्ड डिस्क और एक्सेल शीट की एक मिरर इमेज पुलिस की गलती से आ गई जो कि नितिन महिंद्रा से जब्त हार्ड डिस्क में से मिली थी। बात यही से खुल गई और जब हो हल्ला हुआ तो एसटीएफ ने 13 अक्टूबर 2014 को परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में पहली एफआईआर की। 2008 से परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पहुंच गया था और उस समय इस विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा थे। 198 पदों के लिए अब बोली लगना चालू हुई। 20-20 लाख की बोली लगी। क्योंकि पद भी मलाईदार मिलना था। ऐसे में करीब- करीब परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाला 40 करोड़ का जा पहुंचा। इसकी जांच करते हुए एसटीएफ ने मुरैना जिले से सुधीर गुर्जर को पकड़ा। पूछताछ में इसने तत्कालीन मंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी राजेंद्र गुर्जर के जरिए लाखों रुपए की लेनदेन कबूल किया। उसके बाद मंत्री के ओएसडी राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पर उससे कोई वास्तविक पूछताछ ही नहीं गई। सरकार ने भी मंत्री जगदीश देवड़ा को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी वरना लक्ष्मीकांत शर्मा के मामले को लेकर जैसी तत्परता का दसवां भाग भी दिखाते तो अभी जगदीश देवड़ा भोपाल जेल में बैठे नजर आते।

मंत्री जगदीश देवड़ा, उनकी पत्नी उस समय के उनके निजी सहायक दिलीप राज द्विवेदी, तत्कालीन परिवहन आयुक्त एसएस लाल सबकी भूमिकाएं संदिग्ध थी जिसे पहले एसटीएफ और बाद में सीबीआई ने नजरअंदाज किया। खैर इस बंद पड़े मामले को और तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा के व्यापमं घोटाले में संलग्नता को चिंगारी लगाने का काम अभी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की वजह से हुई है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस.के. मिश्रा, तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा और परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान

उंगलियां के निशान मिलाये जाने लगे, ताकि फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ सकें।

कब शुरू हुई बड़ी जांच?- इंदौर के आरटीआई एक्टीविस्ट आनंद राय ने 2008 में व्यापमं घोटाले में गहन जांच की मांग करते हुए पीआईएल दाखिल की। उसी के तुरंत बाद 2009 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिये एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की कमान राय

परिवहन आरक्षक घोटाला-2012

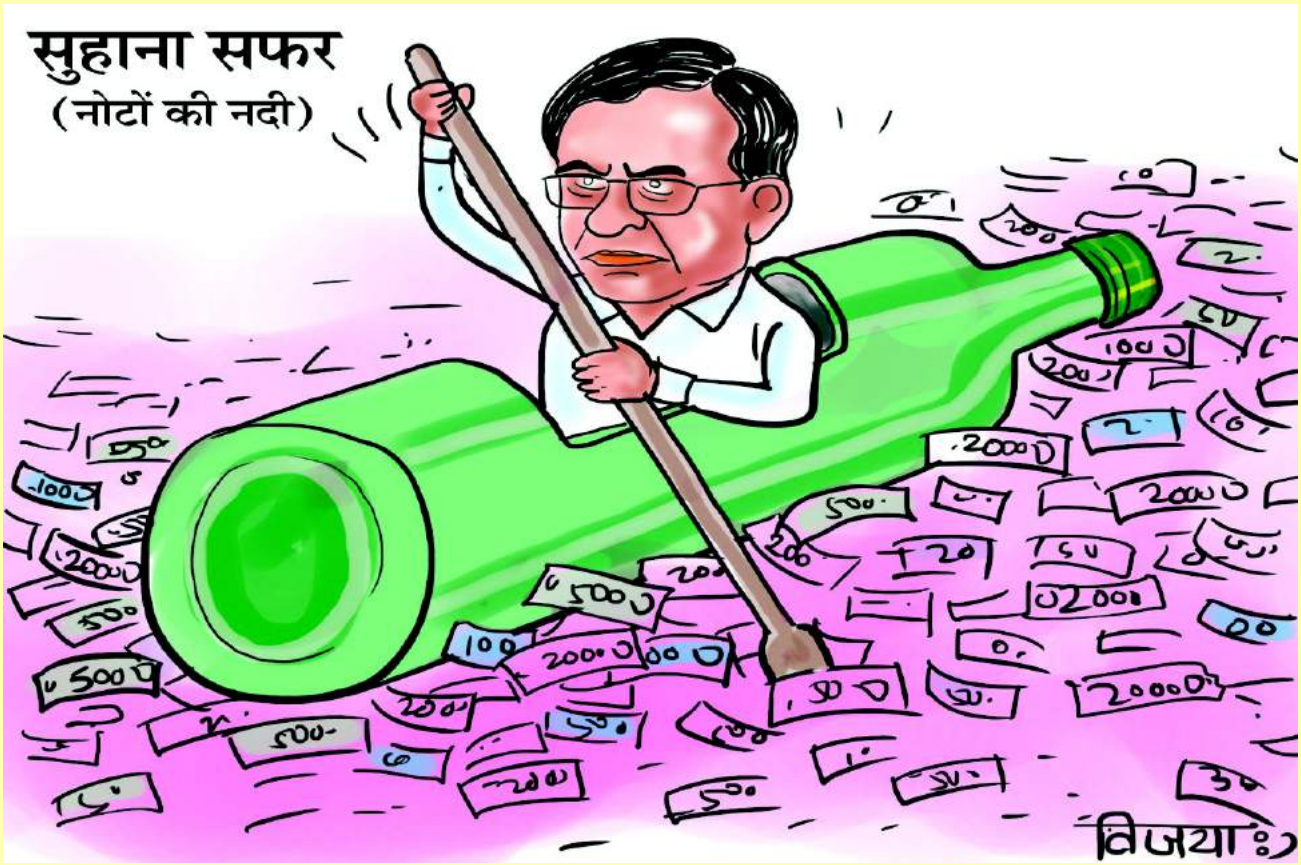

तत्कालीन परिवहन आयुक्त एस.एस. लाल, अपने सेवाकाल के दौरान तीन बार परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे जगदीश देवड़ा के पीए दिलीपराज द्विवेदी की संदिग्ध भूमिकाओं को एसटीएफ ने दबाव में नजरअंदाज किया था। परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में सीबीआई की शुरुआती जांच में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई थी। व्यापमं से जब्त दस्तावेज और परिवहन विभाग से मिले दस्तावेजों में सीबीआई को 56 उम्मीदवारों के पते अलग मिले हैं। ऐसे में सीबीआई ने जांच का पूरा फोकस उम्मीदवारों के मूल निवास प्रमाणपत्रों पर कर दिया है। एसटीएफ ने 13 अक्टूबर 2014 को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की एफआईआर दर्ज की थी। 198 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में पास होने के लिए कई उम्मीदवारों का 20-20 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। मामले में एसटीएफ ने उम्मीदवारों व व्यापमं अधिकारियों सहित 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जुलाई में सीबीआई को यह जांच सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने व्यापमं से परीक्षा का रिकार्ड जब्त किया। सीबीआई की शुरुआती जांच में यह भी पता चला था कि गलत तरीके से भर्ती होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार महाराष्ट्र के किसी एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं। इस जिले से सरकार से जुड़े बड़े नामों का गहरा रिश्ता है। आरोपी उम्मीदवारों ने मूल निवास प्रमाण पत्र गलत इसलिए लगाया ताकि उनके सिलेक्शन पर किसी तरह सवाल न उठाए जा सके।

के मेडिकल एजूकेशन के वाइंट डायरेक्टर को सौंपी।

क्या निकला कमेटी की रिपोर्ट 2011 में- 114 छात्रों ने फर्जी परीक्षार्थियों को अपनी जगह बिठाकर पीएमटी की परीक्षा पास की। फर्जी परीक्षा देने आये अधिकांश

व्यापमं कांड-1 के आखरी गवाह
लक्ष्मीकांत शर्मा की मौत या हत्या?

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा अपने साथ बहुत अनसुलझे प्रश्न छोड़ गये। अब वह दुनिया में नही रहे। चिरायु अस्पताल ने उनका कोरोना से निधन बताया था जो कि काफी संदेहास्पद था। वो कई राज अपने सीने में दफन कर चले गए, भाजपा ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया था। व्यापमं घोटाले में सम्मिलित 50 से अधिक आरोपियों की मृत्यु हो चुकी थी उसमें आखिरी मृत्यू लक्ष्मीकांत शर्मा की रही। उनकी मौत कतई सामान्य नहीं थीं, अपने आखिरी समय में उन्होंने यह भी क्यों बोला था कि व्यापमं घोटाले में मैं तो एक मोहरा हूँ। कुछ बोलूंगा तो जान का खतरा है? सामान्य तौर अस्पताल में शाम 6 बजे बाद शव नहीं दिए जाते, क्या जल्दी थी कि ताबड़तोड़ रात 12 बजे शव पैक कर परिजनों को दे दिया, सुबह सिरोंज में दाह संस्कार भी हो गया। सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापमं कांड के आखरी गवाह थे, कहीं उन्हें भी तो साजिश के तहत हटा तो नहीं दिया गया? वो व्यापमं कांड की असली और आखरी कड़ी थे। उनके पास कई ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके बाहर आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता था। लेकिन वह आखरी समय तक भी इन रहस्यों को छुपा गए। व्यापमं कांड में चिरायु अस्पताल के संचालक डॉ. अजय गोयनका के साथ कई दिग्गज नेताओं के भी नाम उछले थे। इसके साथ ही सरकार द्वारा करोना काल में जिस तरह चिरायु अस्पताल को उपकृत किया गया एवं चिरायू मालिक अजय गोयनका का भी व्यापमं कांड में संलिप्तता थी, इससे उनकी मृत्यू संदेह के घेरे में आती है। जब लक्ष्मीकांत शर्मा भोपाल जेल में थे तो मैं उनसे मिली थी, तब उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर कहा था कि कुछ गड़बड़ है, कहीं मुझे स्लो पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि उन्हें अपनी मौत होने का अंदेशा बना रहता था। डॉ. गोयनका भी व्यापमं कांड में आरोपी रहे हैं। आज लक्ष्मीकांत शर्मा की मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि श्री शर्मा के कुछ परिजन उनका इलाज इंदौर के बांबे अस्पताल में कराना चाहते थे। लक्ष्मीकांत शर्मा से सिरोंज में हुई आखिरी मुलाकात में वे काफी दुखी थी एवं राजनैतिक हाशिये में डाले जाने के कारण मैने उनको सुझाव दिया था कि आप सब सच प्रेसवार्ता लेकर क्यों नहीं बता देते। कम से कम आपकी जान तो बची रहेगी। उन्होंने कहा था विजया दीदी मेरे एक कथन से पार्टी के कई दिग्गज बेपर्दा हो जायेंगे। आखिरकार उनकी चुप्पी के कारण ही व्यापमं पार्ट–1 में असली न्याय नहीं मिल पाया और उसी के फलस्वरूप व्यापमं पार्ट–2 घोटाला करने की नेताओं में हिम्मत आई।

छात्र मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तरप्रदेश के धनाड्य परिवारों से थे। बिचौलियों ने एक-एक छात्र से 10 से 14 लाख रुपए लिये, यानी फॉर्म भरने वाले छात्र भी अमीर घरों के थे। फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाले व्यापमं के अधिकारी भी इस धंधे में शामिल थे। 2011 में सरकार ने उन सभी प्रवेशों को खारिज कर दिया, जिन पर जांच कमेटी ने सवाल उठाये थे। 07 जुलाई 2015 में को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिये हाईकोर्ट से अपील की।

क्या हुआ जब पुलिस हुई सक्रिय- 2013 में पुलिस सयि हुई और इंदौर के तमाम होटलों से एक ही रात में 20 लोगों को धर दबोचा। इनमें 17 लोग तो यूपी के थे। जो 50 हजार से लेकर 01 लाख रुपए लेकर दूसरों की जगह परीक्षा देने आये थे। तब पता चला कि यह एक बड़ा रैकेट है, जिसकी कमान जगदीश सागर के हाथ में है, जिसे मुंबई में गिरफ्तार किया गया। पुलिस

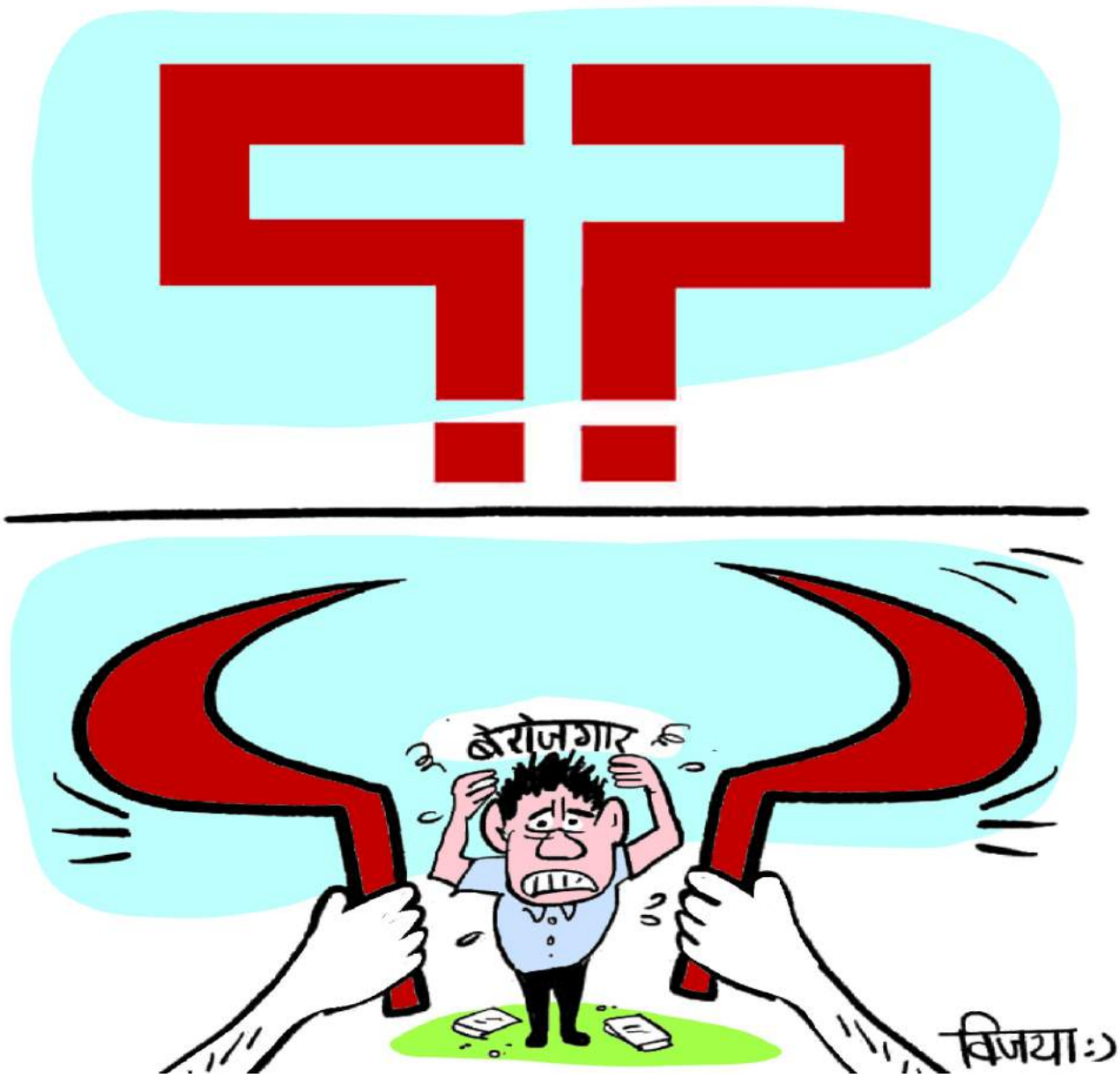

ने गहन पूछताछ की तो उसने 317 नाम उगले। ये सभी मेडिकल के छात्र थे, जिनका करियर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया।

व्यापमं में 2012 की इन परीक्षाओं में हुआ घोटाला?- प्री-मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी परीक्षा, प्री-पीजी परीक्षा जो राय स्तर पर करायी गई, फूड इंस्पेक्टर सेलेक्शन टेस्ट, मिल्क फेडरेशन टेस्ट, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर भर्ती, प्लाटून कमांडर भर्ती, पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती, फॉरेस्ट सब-इंस्पेक्टर भर्ती।

व्यापमं से जुड़े रहस्य- प्री-पीजी टेस्ट में परीक्षा नियंत्रक डा. पंकज त्रिवेदी और सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा ने अभ्यर्थियों को आनसर शीट की फोटोकॉपी मुहैया करायीं। चार परीक्षाओं में परीक्षा देने के बाद ओएमआर शीट बदली गईं। 2012 से पहले 286 छात्रों ने फ्रॉड करके पीएमटी परीक्षा पास की। कई छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। **क्या व्यापमं पार्ट-2 घोटाले में व्यापमं पार्ट-1 की तरह अधूरा न्याय मिलेगा? क्या यहां पर उसी तरह बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटे मोहरों को आरोपी बनाया जायेगा**

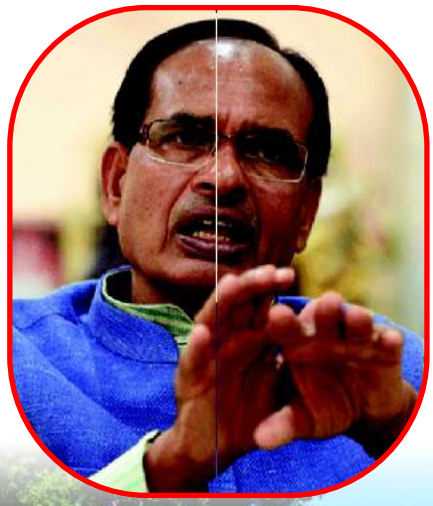

केन-बेतवा लिंक परियोजना

विकास या विनाश?

दिसम्बर 2021 में बहुचर्चित केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी सानीय निवासियों को लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। यह योजना 44 हजार करोड़ से भी यादा की है। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान यादा होगा। इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। सरकार का दावा है इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

23 लाख पेड़ों के विनाश की जिम्मेदारी कौन लेगा?

विजया पाठक

भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, धराशायी होने के कगार पर पहुँच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में डर है कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की बहुचर्चित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहीं अदूरदर्शी विकास प्रतिक्रियाओं का एक उदहारण न बन जाए। दिसम्बर 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी मिलते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यह परियोजना विकास के लिए है या विनाश के लिए। क्योंकि पिछले कई वर्षो से इस

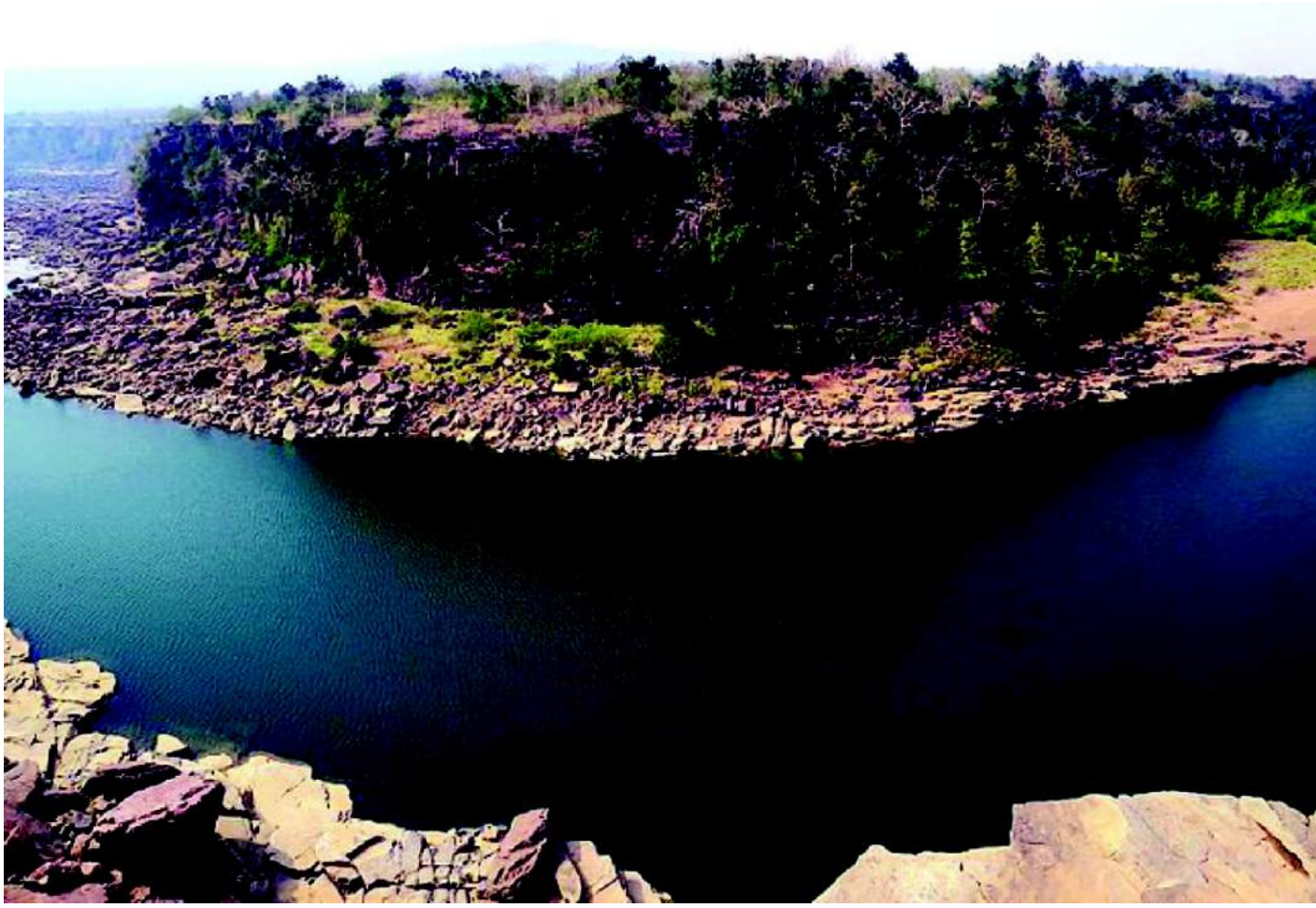

तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है।

परियोजना को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रही हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो कभी स्थानीय निवासियों को लेकर तो कभी वन्यजीवों को लेकर। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आखिरकार मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकना एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान की सम्भावनाओं के बीच इस परियोजना के उद्देश्यों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं।

इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्यप्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इस महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना से लगभग 62 लाख लोगों को

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है।

शुद्ध पेयजल मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस परिकल्पना पर आधारित है कि केन बेसिन में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए केन नदी पर दौधन बांध और नहर बनाकर इस पानी को बेतवा बेसिन में डाला जा सकता है। हालांकि सरकार ने आज तक उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया है, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावे किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इसी वजह से आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें भी पता है कि केन नदी में इतना पानी नहीं है कि उसे कहीं और ले जाया जाए। आरोप है कि इस संबंध में सरकार ने जो भी अध्ययन करवाए हैं, उनमें काफी त्रुटियां हैं। लेकिन इन आपत्तियों को दरकिनार कर इस परियोजना के पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाना है, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई

जाएगी। दौधन बांध के चलते 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र डूबेगा, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा, जो कि बाघों के रहवास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य केन नदी घाटी के अधिशेष जल के प्रतिस्थापन के माध्यम से ऊपरी बेतवा घाटी में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिये पानी उपलब्ध कराना है। उपरी बेतवा घाटी बुन्देलखण्ड से बाहर स्थित है, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से ही जलसंकट ग्रस्त बुन्देलखण्ड से पानी खींचकर बुन्देलखण्ड के बाहर पहुँचाया जाएगा। जानकारों एवं स्थानीय लोगों का मानना है इस लक्ष्य को दूसरे रास्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसी परियोजना को लागू कर व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान और वन्यजीव को खतरा पहुंचाने के लिए उतारू है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35(6) में कहा गया है कि किसी भी वन्यजीव को नष्ट करना या हटाना, किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या मोड़ना और नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के अंदर या बाहर पानी के प्रवाह को रोकना या बढ़ाना, जैसे कार्यो के लिए केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब यह वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक हो। इस टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि गिद्ध, सुअर, हिरण, भालू, तेंदुआ, चिंकारा, महाशीर मछली, हाइना, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, भेड़िया, सोनकुत्ता, लाल एवं काले मुंह वाले बंदर, जंगली सुअर, सियार जैसे कई जानवर हैं। बांध बनाने के चलते केन घड़ियाल अभ्यारण्य तक भी प्रभावित होगा, जो घड़ियालों के जीवन के लिए खतरा है। इसके साथ इस परियोजना में 10 गांव भी डूबेंगे, जिसके चलते कम से कम करीब 8,340 लोग प्रभावित होंगे।

क्या है केन-बेतवा

सूखी नदियों को सदा जल से भरी रहने वाली नदियों से जोड़ने की बात आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने, ख़र्चीली परियोजना होने और अपेक्षित नतीजे न मिलने के डर से ऐसी परियोजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। नदियों का पानी समुद्र में न जाए इसे लेकर नदियों को जोड़ने के पक्ष में तर्क दिये जाते रहे हैं और माना जा रहा है भारत में नदी जोड़ो उपक्रम का आरम्भ केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने वाले 230 किलोमीटर लंबी नहर और विभिन्न बैराज और बाँधों की एक श्रृंखला का निर्माण करना है जिससे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों की सिंचाई सुलभ होने की उम्मीद है। सर्वप्रथम इस परियोजना के अंतर्गत 9,000 हेक्टेयर के जलाशय का निर्माण कर उसमें पानी रोका जाएगा। इस जलाशय के पास ही दो पॉवर हाउस बनाए जाएंगे जिनसे 78 मेगावाट हाइड्रो पॉवर का उत्पादन किया जाएगा। फिर 230 किमी लंबी नहर निकाली जाएगी। इस नहर के मध्यम से एक व्यापक क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद भी एक निश्चित मात्रा में केन नदी से बेतवा नदी में पानी छोड़ा जाएगा, हालाँकि यहाँ पर सबसे वाजिब सवाल यह है कि क्या

नदी जोड़ो परियोजना?

केन और बेतवा नदियों में इतना पानी उपलब्ध है? केन–बेतवा लिंक परियोजना के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा। 44 हजार 605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी।

कितना पानी है केन और बेतवा में?- केन और बेतवा में कितना पानी है! यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह जानकारी सार्वजानिक अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर रखी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने पर गठित तत्कालीन समिति के एक सदस्य ने यह जानकारी माँगी कि केन और बेतवा नदियों में कितना पानी है, आश्चर्य कि बात है कि उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि केन–बेतवा, गंगा नदी घाटी के भाग हैं जो कि एक अन्तराष्ट्रीय नदी घाटी है। अंतराष्ट्रीय नियमों के अनुसार संबंधित नदियों में पानी की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

चूँकि केन–बेतवा परियोजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि दोनों नदियों में कितना पानी है,यदि नदियों में जल का स्तर कम हुआ तो जलाशय में पानी इकट्ठा कर न तो बिजली उत्पादन हो सकता है और न ही नहर निकाली जा सकती है। पहले केन–बेतवा में कितना पानी है इसका ईमानदारी से आंकलन करना होगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में अन्य चिंताए- जंगल केवल पशु–पक्षियों के आश्रय स्थल नहीं हैं बल्कि यह नदियों के लिये परिपोषण का भी कार्य करता है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में उल्लेख किया गया है कि केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मौज़ूद पन्ना टाइगर रिजर्व की 10,500 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के द्वारा नष्ट हो जाएगी। विदित हो कि इतने बड़े पैमाने पर वन्य भूमि के नष्ट हो जाने से जीव–जंतु प्रभावित तो होंगें ही साथ में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किये गए पर्यावरण प्रभाव आकलन में इसका उल्लेख तक नहीं है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले गाँवों में कमजोर आय वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और कुल 7000 के करीब लोगों के विस्थापन की एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने होगी। इस परियोजना में निर्माण कार्य, विस्थापन और पुनर्वास एवं अन्य कार्यो पर अनुमानित लागत हजारों करोड़ रुपए तक हो सकती है। ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसाइयों का एक बड़ा भ्रष्टाचारी वर्ग इस परियोजना की तरफ गिद्धदृष्टि से देख रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले लगभग 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने अक्टूबर 2019 में सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 की जांच दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले पौधों की काफी संख्या है, जिनकी गणना नहीं की गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि इस परियोजना को पूरा होने में करीब आठ साल का समय लगेगा, इसलिए ये पेड़ 20 सेमी. लंबाई की सीमा को पार कर जाएंगे और अंततः इन्हें काट दिया जाएगा, लेकिन इन पेड़ों की कटाई के आंकड़ों में इनकी गणना नहीं की गई है, जो चिंताजनक है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का मानना था कि जितने पेड़ काटने का अनुमान लगाया गया है, उसी तुलना में काफी ज्यादा पेड़ खत्म हो जाएंगे। यहां पर सागौन, खैर, सैजा, सलैया, गुंजा, पलाश, धवा, तेंदू, कुल्लू, करघई, बेल, महुआ, बांस इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं।

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की मदद से नदियों को जोड़ने के पहले फेज का काम केन-बेतवा लिंक शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होते ही देश की 30 नदियों को जोड़ने की योजना का शुभारंभ हो जाएगा। इन सबके बीच परियोजना के शुरू होते ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि बेतवा का बहाव नीचे की ओर है, जबकि केन ऊपर बहती है। ऐसे में दोनों नदियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है। नदियों की स्वाभाविक गति को मोड़ने को किसी अनहोनी को दावत देने जैसी बात कही जा रही है। अतीत से सबक, पानी को लेकर बंटवारे के मुकदमे और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने उठाए थे सवाल

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने केन–बेतवा लिंक की विस्तृत जांच कर 30 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि इस परियोजना का लागू किया जाता है तो 10,500 हेक्टेयर में फैले पूरे वन्यजीवों का घर उजाड़ हो जाएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट के तहत वन भूमि के 6,017 हेक्टेयर भूभाग को खत्म किया जाएगा, जिसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ कटेंगे। इसके साथ–साथ घड़ियाल अभयारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ऐसे कई दुष्प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए समिति ने कहा था कि सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश सकती है। सरकार का दावा है इसके जरिये कुल 9.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जिसमें से 6.53 लाख हेक्टेयर मध्यप्रदेश और 2.51 लाख हेक्टेयर उत्तरप्रदेश का क्षेत्र सिंचित होगा। इसके अलावा दोनों राज्यों के 62 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस पर सीईसी ने कहा कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन पर ही सवाल उठाते हुए कहा था कि डीपीआर के मुताबिक अपर बेतवा बेसिन में अनुमानित 384 एमसीएम पानी की कमी इसी वजह से है क्योंकि बेतवा बेसिन में बनाए गए पूर्ववर्ती सिंचाई परियोजनाओं के तहत यही वादा किया गया था कि बेतवा बेसिन में इकट्ठा होने वाले पूरे पानी को इसके निचले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सीईसी ने कहा कि अपर बेतवा बेसिन की कीमत पर निचले बेतवा बेसिन में सिंचाई व्यवस्था करने की त्रुटिपूर्ण प्लानिंग से सबक लेकर इस परियोजना के तहत ऐसी किसी गुंजाइश को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि सरकार केन नदी के पानी को इसके निचले क्षेत्रों और बेतवा के अपर बेसिन में भेजने का जो दावा कर रही है, उसके चलते अपर केन बेसिन के किसान जरूर जल से वंचित हो जाएंगे, नतीजन इस प्रोजेक्ट की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए केन बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर सुविधा करने की संभावनाओं को तलाशे बिना ये कहना कि केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को बेतवा बेसिन में भेजा जा सकता है, यह अपरिपक्व प्रतीत होता है जबकि इस परियोजना के तहत करदाताओं के बेतहाशा पैसे खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा समिति ने कहा था कि केन और बेतवा नदी के क्षेत्र में औसतन करीब 90 सेमी ही वर्षा होती है, इसलिए सूखे के समय इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि तब दोनों नदियों के बेसिन में उतना पानी इकट्ठा नहीं होगा, जितना की विभिन्न अध्ययनों में बताया गया है। हालांकि केंद्र ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है।

होगा। हालांकि सरकार इसकी सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण डिविजन ने वन सलाहकार समिति की सिफारिश पर 25 मई 2017 को केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए

6,017 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन कार्यो (डाइवर्जन) में इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 8,427 फुटबॉल के मैदान के बराबर की भूमि में लगे पेड़ों को खत्म किया जाना है। इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में कम से कम 23 लाख पेड़ों का काटने की इजाजत दी है, जिसमें से बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ऐसा करते हुए मंत्रालय ने ये शर्त रखी थी कि सरकार को प्रभावित वनभूमि के एवज में बराबर गैर-वनभूमि (6017 हेक्टेयर) वन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन ऐसा कर पाने में सरकार विफल रही है। उलटे पिछले करीब तीन सालों से पर्यावरण मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे इस प्रावधान को बदल दें। जल मंत्रालय के तत्कालीन सचिव ने 30 जुलाई 2018 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार अपेक्षित 6,017 हेक्टेयर में से 4,206 हेक्टेयर ही गैर-वनभूमि का पता लगा पाई है, इसलिए इस शर्त को हल्का किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे अतिरिक्त गैर-वनभूमि का इंतजाम करने में असमर्थ हैं। सचिव ने कहा था कि बाकी की जो 1,811 हेक्टेयर (6,017 हेक्टेयर - 4,206 हेक्टेयर) जमीन बच रही है, उसके बदले में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की दोगुनी बिगड़ी या खराब वनभूमि अर्थात 3,622 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए दिया जा सकता है। हालांकि इस कदम को विशेषज्ञों ने पर्यावरण नियम का

सरकार के खोखले दावे

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश में 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। हालांकि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर प्रचारित की जा रही इस परियोजना के तहत जहां एक तरफ क्षेत्र के 13 जिलों में से आठ जिले (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर) को ही लाभ मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्रों को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो बुंदेलखंड से बाहर हैं। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फ़ेज़-2 में जिन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, वे बुंदेलखंड के बाहर स्थित शिवपुरी, विदिशा, रायसेन और सागर जिले को लाभ पहुंचाएंगे। जानकारों का कहना है कि हकीकत में ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए है ही नहीं। इसके तहत क्षेत्र के जिन इलाको को सींचने का दावा किया ज़ा रहा है, वो पहले से ही पूर्व की परियोजनाओं के तहत सिंचित क्षेत्र के दायरे में हैं। इस परियोजना का असली मकसद बेतवा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है, जो बुंदेलखंड से बाहर है। दावों की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने 30 अगस्त 2019 को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा था केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन्हीं का क्षमता विस्तार कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने कहा था कि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया है। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.37 (2.51-2.14) लाख हेक्टेयर का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसी तरह केन नदी पर एक रनगवां बांध बनाया गया है। रबी सीजन में इसमें से 1,019 एमसीएम (36 टीएमसी) पानी यूपी को देने का करार किया गया है। लेकिन आलम ये है कि दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश इसमें से औसतन महज 39 एमसीएम पानी ही इस्तेमाल कर पाया है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां ये देखा है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही बनीं परियोजनाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि सिंचाई का ख़्वाब दिखाने के बाद प्रोजेक्ट से उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है, जितने का लक्ष्य रखा गया था। इन्हीं आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि नए बांध और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

घोर उल्लंघन और जंगल के दृष्टिकोण से खतरनाक बताया है। इसके बाद केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के महानिदेशक ने 22 जून 2020 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव को पत्र लिखकर परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी की शर्तो में ढील देने की मांग की। हालांकि यहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस मामले को लेकर सरकार की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पिछले करीब दो सालों में इस परियोजना को लेकर जितनी बैठकें हुई हैं, संभवतः हर एक में पर्यावरण मंत्रालय की

44 हज़ार करोड़ होगी परियोजना की लागत

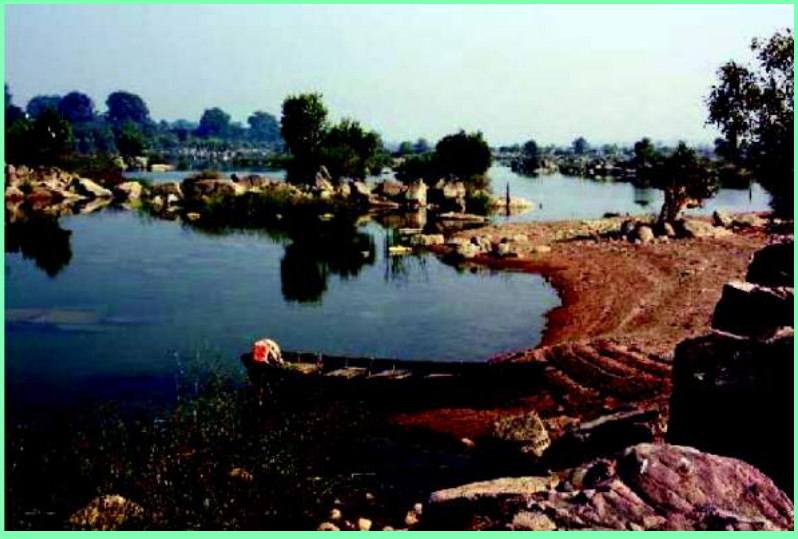

केन नदी मध्यप्रदेश के जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तरप्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। बेतवा नदी मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है। लगभग 44 हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले केन–बेतवा लिंक में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के हिस्से शामिल हैं। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश से केन नदी के अतिरिक्त पानी को 231 किमी लंबी एक नहर के जरिये उत्तरप्रदेश में बेतवा नदी तक लाया जाएगा। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारें शुरू कर चुकी हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए नहरों एवं बांधों के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और डूब क्षेत्र भी तैयार हो रहा है।

सात हज़ार लोग होंगे प्रभावित- उत्तरप्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्यप्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्यप्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई का इन्तजाम करेगा। केन–बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गाँव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। पांच गांव आंशिक व सात गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। इस क्षेत्र के 7000 लोग प्रभावित व विस्थापित हो जायेंगे। जानकार दावा करते हैं कि परियोजना में सबसे बड़ी अड़चन प्राकृतिक है क्योंकि शताब्दियों पहले नदियों का एक स्वाभाविक ढाल बना, जिसे कृत्रिम तरीके से बदलना सम्भव नहीं है।

शुरुआती दौर से ही राज्यों में मतभेद- केन बेतवा के जुड़ने से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहां बाघों के प्रजनन, आहार एवं आवास व प्रवास को लेकर भी सरकार चुप है। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच एक तरह के जल विवाद की भी संभावना हमेशा बनी रहेगी क्योंकि परियोजना के शुरू होने से पहले ही दोनों राज्यों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए थे और इन्हीं मतभेदों के कारण कई वर्ष तक परियोजना अधर में लटकी थी। विवादों और विरोधों के बीच शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के बताये जा रहे लाभों को लेकर पर्यावरणविद सशंकित हैं।

4000 तालाबों का जीणोद्धार होता तो बेहतर होता

गौरतलब है कि अकेले बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4000 से भी ज़्यादा तालाब हैं और इनमें से आधे तालाब कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के हैं। यह ही सत्य है कि बुंदेलखंड देश के अत्यधिक पिछड़े हुए इलाकों में से एक है, यदि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना है तो सरकार को इन तालाबों को गहरा करने व उनकी मरम्मत पर विचार करना चाहिए। यदि इन सभी तालाबों को सँवार लिया जाए तो इन नदियों को जोड़ने की ज़रूरत तो रह ही नहीं जाएगी और कई हजार करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होने से भी बच जाएँगे। इस परियोजना को पूरा करने का समय 10 साल बताया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण और वन भूमि में निर्माण कार्य की स्वीकृति में जो अड़चनें आती हैं, उनके चलते यह परियोजना 20-25 साल से पहले सम्पूर्ण नहीं हो पाएगी। भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने की थी। लेकिन फिरंगी हुकूमत का नदियों को जोड़ने का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मज़बूत करने के साथ, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था। हालाँकि आज़ादी के बाद भी नदियों को जोड़ने की माँग होती रही है लेकिन अब तक इस परियोजना को अमल में नहीं लाया गया है क्योंकि इस परियोजना को अमल में लाने में व्यापक चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ में यदि यह परियोजना अमल में लाई जाती हैं, तो नदियों की अविरलता खत्म होने की आशंका भी है। यदि नदियों को जोड़ो अभियान के तहत केन-बेतवा नदियाँ जुड़ जाती हैं तो इनकी अविरल बहने वाली धारा टूट सकती है। उत्तराखण्ड में गंगा नदी पर टिहरी बांध बनने के बाद एक तरफ तो गंगा की अविरलता प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तराखण्ड में बादल फटने और भूस्खलन की आपदाएँ बढ़ गई हैं। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने इससे कोई सीख नहीं लिया है। एक तथ्य यह भी है कि केन की सहायक नदियाँ जैसे बन्ने, केल, उर्मिल, धसान आदि वर्षा के मौसम में पानी से लबालब भर जाती हैं। यदि केन को उसकी सहायक नदियों से जोड़ा जाए तो शायद पानी की समस्या का कारगर उपाय निकल सकता है।

शर्तो पर ढील दिलाने पर चर्चा हुई है।

दस्तावेजों से यह भी खुलासा होता है कि मध्यप्रदेश सरकार और एनडब्ल्यूडीए ने मिलकर जिस 4,206 हेक्टेयर जमीन को गैर-वनभूमि बताकर वन विभाग को देने की बात की है, उसमें से 823 हेक्टेयर जमीन स्थानीय लोगों की है, जहां वे रहते हैं और इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय को नहीं दी गई है।

वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ने को लेकर भी टाल-मटोल- जल शक्ति मंत्रालय ने सिर्फ वन क्षेत्र ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व में मिलाने या इसके साथ जोड़ने के बाद परियोजना के कार्यो को शुरू करने की शर्त में भी ढील देने की मांग की थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 39वीं बैठक में इस परियोजना के चलते बाघों के निवास स्थान के 105 स्क्वॉयर किमी क्षेत्र खत्म होने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। इसलिए एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के नौरादेही एवं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरप्रदेश के

रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए कहा था। अभ्यारण्य जोड़ने के साथ-साथ ही छतरपुर और दक्षिण पन्ना डिवीजन के क्षेत्र को पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यहां पर पहले से ही बाघों का ठिकाना रहा है। हालांकि वर्तमान में कोई भी पर्याप्त आंकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि केन-बेतवा परियोजना के तहत बाघों के मौजूदा रहवास क्षेत्र को बर्बाद करने के बाद अभ्यारण्य वगैरह जोड़कर इसे बचाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन सबके चलते यहां तेजी से बाघ गायब होने लगेंगे। सरकार द्वारा मुहैया कराई सूचनाओं से पता चलता

नदी जोड़ो अभियान से क्या नुकसान?

हर परियोजना के लाभ और साथ ही कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। नदिया शुरू से हमारे प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती रहीं हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने हेतु कई बड़े बाँध, नहरें और जलाशय बनाने होंगे जिससे आस पास की भूमि दलदली हो जाएगी और कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आ सकती है। कहाँ से कितना पानी लाना है, किस नहर को स्थानांतरित करना है, इसके लिए पर्याप्त अध्ययन और शोध करना अनिवार्य है। देखा जाए तो 2001 में इस परियोजना की लागत 5 लाख साठ हजार करोड़ आंकी गई थी परन्तु वास्तविक में इससे कई ज्यादा होने की संभावना है।

नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान होगा। किसानों को भी लाभ होगा आदि। नदी जोड़ो परियोजना एक सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की अधिकता या कमी को दूर किया जा सकेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में जितना भी पानी उपलब्ध है उसका केवल चार फीसदी ही भारत के पास है और भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 फीसदी है। परन्तु हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और भारत को केवल 4 फीसदी पानी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। हर योजना के दो पक्ष होते हैं परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका लाभ कितना अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगा।

नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास- नदी जोड़ो परियोजना पर काफी लंबे समय से विचार–विमर्श चल रहा है। भारत में जिन क्षेत्रों की नदियों में अधिक पानी है और जिनमें कम पानी है उनको जोड़ने का सुजाव काफी समय से हो रहा है।

- **सबसे पहले नदियों को जोड़ने का विचार 150 वर्ष पूर्व 1919 में मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।**
- **1960 में फिर तत्कालीन उर्जा और सिंचाई राज्यमंत्री केएल राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के विचार को पेश कर इस विचार धरा को फिर से जीवित कर दिया था।**
- **पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2002 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को शीघ्रता से पूरा करने को कहा और साथ ही 2003 तक इस पर प्लान बनाने को कहा और 2016 तक इसको पूरा करने पर ज़ोर दिया गया था।**
- **पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था और यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना में लगभग 5,60,000 करोड़ रुपयों की लागत आएगी।**
- **2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से अमल करके शुरू किया जाए ताकि समय ज्यादा बढ़ने की वजह से इसकी लागत और न बढ़ जाए।**

केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है।

है कि टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य 108.2 किमी, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य 102.1 किमी और रानीपुर अभ्यारण्य 73.8 किमी है।

सरकार का दावा है कि इसके जरिये 9.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें से मध्यप्रदेश का 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। हालांकि केन नदी पर बने बरियापुर बांध से पहले ही उत्तरप्रदेश में 2.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का प्रावधान किया गया था। इस तरह केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रदेश को महज 0.38 लाख हेक्टेयर (2.52 लाख हेक्टेयर 2.41 लाख हेक्टेयर) का लाभ होगा। जबकि मध्यप्रदेश ने बांध से खुद के लिए मिली सिंचाई क्षमता का अभी तक पूरी तरह उपयोग ही नहीं किया है। इसके अलावा एनडब्ल्यूडीए द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि केन बेसिन में पहले से ही 11 बड़े और मध्यम परियोजनाएं तथा 171 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इस आधार पर सीईसी ने सिफारिश की थी कि दौधन बांध को बनाए बिना और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ववर्ती योजनाओं का क्षमता विस्तार कर जरूरतों को पूरी किया जा सकता है। हालांकि इन सब तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की डील साइन कर दी है।

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट के तहत सरकार जितनी ज़मीन प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में दिखा रही है, उसमें से भी काफ़ी स्थानीय निवासियों की निजी भूमि है। केन नदी से करीब दौधन गांव है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर में स्थित है। गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी भी हैं, इस नदी और इससे सटे जंगल पर निर्भर हैं। वे यह बात सुनकर सिहर उठते हैं कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के नाम पर अब यहां पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा, जिसके चलते उन्हें हटाया जाएगा और लाखों की संख्या में पेड़ कटेंगे। स्थानीय गांववालों का जीवन इन्हीं जंगलों से चलता था। महुआ बीनते हैं, लकड़ियां बेचते हैं, बांस काटते हैं। इन पेड़ों को काटने से जो नुकसान होगा,

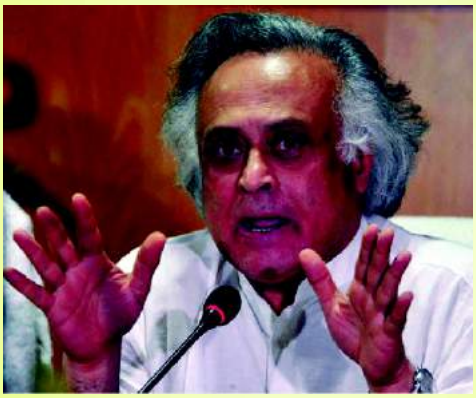

यूपीए सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी

कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसने फिर से तेजी पकड़ी, क्योंकि इस परियोजना की परिकल्पना के तार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जुड़ते हैं। केंद्र ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भीष्म प्रतिज्ञा और ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के दो-तीन साल के भीतर सारे जरूरी विभागों से मंजूरी दिलवा दी।

उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन शर्तो में भी ढील दिलाने की कोशिश की जिसके आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को प्रथम स्तर की वन मंजूरी प्रदान नहीं कर पा रही थी। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वे भरपाई के लिए उतनी उचित जमीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जितने क्षेत्र के पेड़ों को काटा जाएगा। इतना ही नहीं, वन भूमि के बदले अन्य जगह की भूमि देने के लिए जितने क्षेत्र की पहचान हुई है, उसमें से काफी जमीन सरकार की नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना: विकास और विस्थापन के मुंहाने पर ग्रामीण

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले में 10 गांवों को विस्थापित किया जाना है। पहले से ही तमाम बुनियादी सुविधाओं के बिना चल रही उनकी ज़िंदगी को यह प्रोजेक्ट यातनागृह में तब्दील कर देगा। उन्हें यह डर भी है कि तमाम अन्य परियोजनाओं की तरह उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा। विडंबना ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 44,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि खर्च कर बांध, बैराज, नहर, पावरहाउस इत्यादि बनाए जाने हैं, लेकिन इस कार्य के लिए जिनकी जमीनें ली जाएंगी। उन्हें आज तक एक अदद मोबाइल टावर भी नसीब नहीं हो सका। मोदी सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कि आवास, शौचालय, उजवला, बिजली, डिजिटल इंडिया इत्यादि की यहां कोई पहुंच

नहीं है। मनरेगा के तहत भी लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिये केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई जाएगी। इस बांध के बनने के चलते 9,000 हेक्टेयर भूमि डूबेगी, जिसमें से सबसे यादा 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा। इसी रिजर्व क्षेत्र में दौधन गांव स्थित है, नतीजतन यह भी डूबेगा।

उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले दोनों राज्यों के बीच साल 2005 में इस परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन साइन किया गया था। बाद में सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन कई कारणों से ये परियोजना लंबित ही रही।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस दलील पर आधारित है कि केन नदी में पानी की मात्रा यादा है, इसलिए दोनों नदियों को जोड़कर केन के पानी को बेतवा में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। वैसे तो केन और बेतवा दोनों नदियां प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अंत में जाकर यमुना में मिल जाती हैं लेकिन सरकार जिस कृत्रिम तरीके से इन्हें जोड़ना चाह रही है, उसे विशेषज्ञों ने विनाशकारी बताया है। सरकार ने अभी तक न तो उन आंकड़ों को

सार्वजनिक किया है और न ही इसकी स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच कराई गई है, जिसके आधार पर वे केन में पानी यादा होने का दावा कर रहे हैं।

इस परियोजना को लागू करने के लिए 6,017 हेक्टेयर वनभूमि को खत्म किया जाएगा, जो कि दस या बीस नहीं, बल्कि 8,427 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके चलते कम से कम 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में काटे गए पेड़ों की तुलना में एक हजार गुना (1,078) अधिक पेड़ यहां काटे जाएंगे। मेट्रो कार शेड बनाने के लिए साल 2020 में आरे कॉलोनी में 2,135 पेड़ काटने के चलते व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, न्यायालयों में याचिकाएं दायर हुई, मीडिया ने खूब कवरेज भी किया, जिसके चलते चुनाव के बाद शिवसेना सरकार को फैसले को पलटना पड़ा था। पन्ना के जंगलों में सागौन, महुआ, बेलपत्र, आचार, जामुन, खैर, कहवा, शीशम, जंगल जलेबी, गुली, आंवला समेत अन्य प्रमुख प्रजातियों के बड़े पेड़ हैं। इसके साथ-साथ यहां घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

करीब 11 साल पहले ही आरटीआई आवेदन दायर कर इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) से प्रभावित लोगों के विस्थापन के बारे में जानकारी मांगी थी। जो जवाब मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। एनडब्ल्यूडीए ने एक जुलाई 2010 को भेजे अपने जवाब में कहा था कि 10 में से चार गांवों (मैनारी, खरयानी, पलकोहा और दौधन) को पूर्व में ही विस्थापित कराया जा चुका है। गांव वाले इस सरकारी कागज को लेकर एकदम अचंभित हैं, उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। वे कहते हैं, हमें तो इसकी हवा तक नहीं लगी। हम

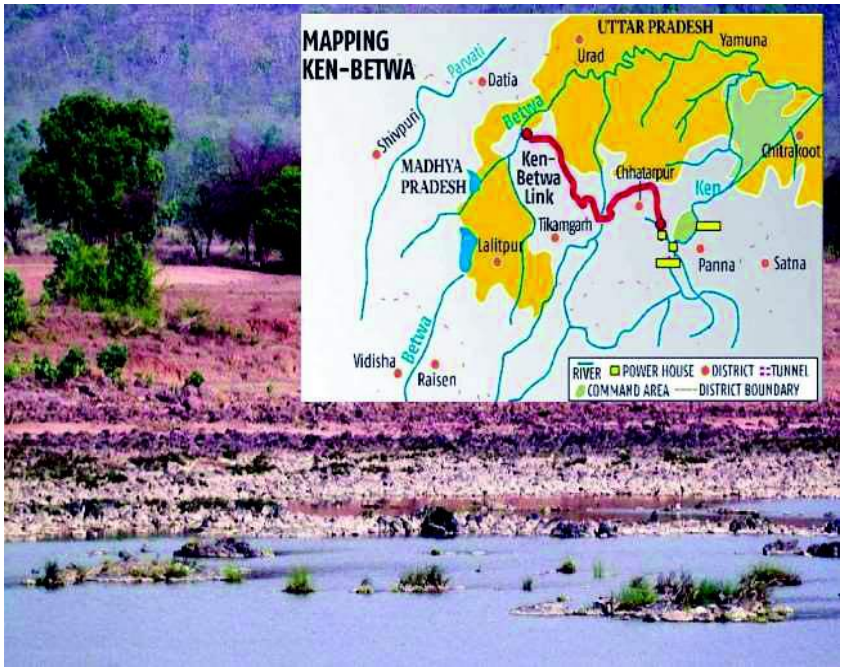

चाहते हैं कि इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि हमारा गांव पूरी तरह आबाद है, हमें एक पैसा भी नहीं मिला है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2013 के कानून के तहत प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, जो राज्य सरकार को करना है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सहमति ज्ञापन में कहा गया है, संबंधित राज्य सरकारें अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुन- स्थापना तथा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य, पुनर्वास एवं पुन- स्थापना अधिनियम, 2013 या संबंधित राय नीति के अनुसार या अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से करेंगी।

दस्तावेज दर्शाते हैं कि 10 गांवों के कुल 1913 परिवारों के 8339 लोगों को विस्थापित किया जाना है। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि जब ये आंकलन कराया गया होगा, तब से लेकर अब तक परिवारों एवं लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। सरकार का ये आंकलन साल 2011 की जनगणना पर आधारित है। जाहिर है कि इसी साल 2021 में होने वाली जनगणना में यहां के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। केन-बेतवा परियोजना पर तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में आई थी। इसके मुताबिक साल 2013 के कानून के तहत पुनर्वास एवं पुन- स्थापना में 248.84 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। यदि विस्थापित होने वालों के सरकारी आंकड़े को मानते हैं, तब भी इस हिसाब से प्रति व्यक्ति को विस्थापित करने में महज 2.98 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह गांव वालों की उम्मीद से काफी कम है। वहीं दस्तावेजों के मुताबिक परियोजना के तहत दौधन बांध बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में करीब 324 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साल 2017-18 के मूल्य स्तर के आधार पर पूरे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में 35,111 करोड़ रुपये खर्च बताया गया था।

फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव

मध्यप्रदेश गायों एवं गायों की सन्तानों (बछड़े-बछड़ियों, सांड-बैलों) के संरक्षण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। यहाँ का 951 हजार वर्ग किलो मीटर का जंगल गौ-वंश का आश्रय-स्थल है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति और मूक-प्राणियों के मध्य एक नैसर्गिक समीकरण बना हुआ है। गायों का भोजन जंगल में और गोबर एवं गौ-मूत्र के रूप में जंगल का आहार गायों के पास। शासन-प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर गौ-वंश के संरक्षण एवं पालन की दिशा में युगानुकूल सम-सामयिक और नवाचार विधि से कार्य करना चाहिये।

जंगलों में थे 10 गौ-सदन

अविभाजित मध्यप्रदेश के जंगलों में वर्ष 1916 से 10 गौ-सदन होते थे। वर्षा काल में लगभग 3 माह गौपालकों-कृषकों का पालित गौ-वंश जंगलों में बने इन्हीं 10 गौ-सदनों में निवास करता था। दीपावली के आसपास इन गौ-सदनों से कृषकों-गौ-पालकों का गौ-वंश सकुशल घर वापस आ जाता था। प्राचीन भारत का यह किसानों की फसल सुरक्षा एवं गौ-वंश के संरक्षण का पारम्परिक रोडमेप हुआ करता था। ये गौ-सदन वर्ष 2000 तक व्यवस्थित संचालित होते रहे। गौ-सदनों के पास जंगलों में 7200 एकड़ चरनोई भूमि होती थी। वन विभाग की इस भूमि पर राज्यके पशुपालन विभाग का आधिपत्य रहा।

मध्यप्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और दो गौ-सदन (बिलासपुर और रायपुर के) छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में चले गये। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश के 8 गौ-सदन अकारण ही भंग कर दिये गये। मध्यप्रदेश में गायों के समक्ष समस्या तब पैदा हुई जब मध्यप्रदेश के वर्ष 2000 और वर्ष 2003 के कालखण्ड के तत्कालीन शासन ने चरनोई भूमि की बंदरबाँट मनुष्यों में कर दी। जंगलों के गौ-सदन के भंग होने एवं नगरों और ग्रामों की चरनोई भूमि का मनुष्यों में आवंटन ने मूक-प्राणियों, गौ-वंश आदि के जीवन को संकटग्रस्त कर दिया।

इधर तत्कालीन केंद्र शासन और राज्य शासन की माँस निर्यात नीति एवं कत्लखानों को धड़ल्ले से लाइसेन्स जारी करने की नीति ने प्रदेश के गौ-वंशीय तथा अन्य कृषक

पशुधन की महती हानि कर डाली। प्रदेश में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं अन्यान्य संगठनों के सम्मिलित आन्दोलन, अनुष्ठान अभियान और प्रयासों से प्रदेश में पशुवध रोकने के कड़े कानून बने। आयोगों का गठन हुआ। मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड बना। मालवा क्षेत्र के एक विशाल भू-खण्ड में कामधेनु गौ-अभयारण्य का निर्माण हुआ।

प्रदेश के मध्यभारत, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड एवं महाकौशल क्षेत्र में भी हमने मालवा क्षेत्र की भाँति अपने प्रयास सम्भावना के आधार पर आरम्भ कर दिये हैं। प्रदेश में शासन की संकल्प शक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और सयिता से तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों से 627 स्वयं सेवी संगठनों की गौ-शालाएँ और 1265 गौ-शालाएँ मनरेगा के आर्थिक सहयोग से निर्मित ग्राम पंचायत स्तर पर यिाशील हो गई हैं। एक गौ-वंश वन्य-विहार रीवा के बसावन मामा नामक स्थान पर तथा एक गौ-वंश वन्य-विहार जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील में गंगईवीर जंगल परिक्षेत्र में निर्मित होने जा रहा है। इसी प्रकार जिला सीहोर के देलावाड़ी स्थान पर भी गौ-वंश वन्य विहार निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

हमें विश्वास है सरकार की नीति, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति तथा मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड की तत्परता से प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन का अनुकूल वातावरण निर्मित होकर सकारात्मक और रचनात्मक ठोस परिणाम आगामी एक-दो वर्षो में स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, अध्यक्ष (कार्यपरिषद) म.प्र. गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड।

नीर के लिए पीर का स्थाई समाधान है जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन जारी की। इसके मुताबिक गाँव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। मिशन में यह प्रावधान रखा गया कि ग्रामीण आबादी में नल से जल उपलब्ध कराने पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की खूबियों को जाना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मानना था कि ग्रामीण अंचल की माता-बहनों की नीर के लिए पीर को मिशन के माध्यम से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प भी हैं कि मिशन से प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण जल की व्यवस्था समय-सीमा में हो जाए।

बुरहानपुर बना शत-प्रतिशत नल-जल युक्त वाला प्रदेश का पहला जिला

मध्यप्रदेश का बुरहानपुर ऐसा पहला जिला है जहाँ मिशन के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के दोनों विकासखण्ड में 167 ग्राम पंचायतें और 254 ग्राम हैं। इन सभी गाँवों के प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन से जल उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी ग्रामीण परिवार मिशन से लाभान्वित होकर घर पर ही पेयजल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मिशन में प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी आँगनवाड़ी केन्द्र और शालाओं में भी प्लेटफार्म बनाकर उनमें नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। अब आँगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों और वहाँ कार्यरत शासकीय अमले को गुणवत्तापूर्ण तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहेगा।

प्रदेश में जून 2020 से जल जीवन मिशन में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति मिली और ग्रामीण परिवारों को नल से जल। इस तरह गाँव के हर घर में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। अब सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। प्रदेश में बदलाव के साक्ष्य के रूप में मिशन में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से निरन्तर जल प्रदाय शुरू हो गया है।

मिशन से सभी स्कूलों और आँगनवाड़ियों में भी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने के अभियान में भी तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 69 हजार से अधिक

शालाओं तथा 40 हजार से अधिक आँगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आँगनवाड़ियों में नल से जल पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। जल जीवन मिशन में जल-संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने का सिलसिला बना हुआ है।

4 हजार से अधिक ग्रामों में नल से जल

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुँचाने के लिये लगातार कार्य कर रहे हैं। विगत 22 माहों में प्रदेश के 4 हजार 143 ग्रामों के सौ फीसदी घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

हर स्तर पर समितियाँ गठित

मिशन के संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति और गाँव स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। योजना में निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि जन-भागीदारी से जुटाने का प्रावधान है, जो श्रम, सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जन-भागीदारी का अंश 5 प्रतिशत रखा गया है।

मिशन मार्गदर्शिका के घटकों के अनुरूप कार्य-संचालन

प्रदेश में मिशन के बेहतर संचालन के लिए मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रमुख रूप से चार घटकों को शामिल कर उनके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। प्रथम घटक - कार्य प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के अन्तर्गत दो टीमें गठित हैं। एक टीम तकनीकी सहायता तो, वहीं दूसरी टीम

प्रबंधन समर्थन के लिए मैकेनिम पर काम कर रही है। जिला स्तर पर मिशन की सहायता के लिए जिला कार्यम प्रबंधन इकाई बनाई गई है। दूसरा घटक - कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी (आईएसए) चयनित ग्रामीण क्षेत्र में जल-प्रदाय योजनाओं से प्रभावित समुदाय को सुविधा प्रदान करने, जन-सहयोग की सहमति लेने, बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन के लिए गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। प्रत्येक जिले की अपनी कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी है। तीसरा घटक-तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएँ (टीपीआई) निरीक्षण के बाद यह तय करती है कि निर्माण संस्था द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितना कार्य कर लिया है और किए गए कार्य के विरूद्ध संस्था को कितने भुगतान की पात्रता बनती है। चौथा घटक-कौशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी में स्थापित जल व्यवस्था का संचालन, संरक्षण और संधारण बेहतर हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण

मिशन में ग्रामीण परिवारों को मिल रहा जल गुणवत्तापूर्ण है, इसकी समुचित जाँच के लिए स्थानीय महिलाओं को एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल-प्रदाय योजना का संचालन और संधारण बेहतर बनाये रखने के लिए वित्त प्रबंधन आवश्यक है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं के सेक्टर वाइस क्लस्टर बनाकर उन्हें जल उपभोक्ता परिवारों से जलदर प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जलप्रदाय योजनाओं के संचालन में भविष्य में आने वाली रूकाबट अथवा खराबी को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सके इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्थानीय युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। जलप्रदाय योजना क्षेत्र के रहवासी करीब 50 हजार युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार मैशन, पिलम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक तथा पम्प आपरेटर के कार्यो का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। इससे जलप्रदाय योजनाओं को लेकर भविष्य में आई किसी भी कठिनाई को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सकेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

(लेखक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं।)

Pollution Control in United States

Shaifali Dubey

There is general agreement that we must control pollution of air, water and land, but there is considerable dispute over how controls should be designed and how much control is enough. The pollution control mechanisms adopted in the United States have tended toward detailed regulation of technology, leaving polluters with little choice in how to achieve the environmental goals. This "command-and-control" strategy needlessly increases the cost of pollution controls and may even slow our progress toward a cleaner environment.

In 1970, popular concern about environmental degradation coalesced into a major political force, resulting in President Richard Nixon's creation of the federal Environmental Protection Agency (EPA) and the first of the major federal attempts to regulate pollution directly—the Clean Air Act Amendments of 1970. Since then, the federal role in regulating pollution has grown immensely, unleashing many regulatory responsibilities on the EPA and a cascade of regulations on local governments and the business community. Now, that has begun to change somewhat as environmentalists have increasingly realized that markets can work to allocate pollution reduction responsibilities efficiently among firms and across industries. Although the command-and-control approach is still the norm, environmental lobbyists and legislators have, on occasion, considered market-based approaches to pollution control. Most of the proposals for limiting Global warming for example, explicitly include market-based approaches for controlling carbon dioxide emissions.

In virtually every anti-pollution law, Congress has instructed the EPA to establish and enforce specific pollution standards for individual polluters. The EPA generally bases these standards on some notion of the "best available" or "best achievable" technology for

each source of pollution in each industry. Since, each pollutant has many sources, the EPA often sets literally hundreds of maximum-discharge standards for any single pollutant.

Existing pollution sources (such as old factories) are generally required to meet less onerous standards than those applicable for new sources, largely because it is considered more costly to retrofit an old factory than to build pollution

control devices into a new one. However, even the definition of "new" requires further regulations because the EPA must distinguish between, for example, when a utility simply repairs or refurbishes an "old" fossil-fuel-fired boiler and when it replaces enough components to make it a "new" boiler. Complicating matters further, standards for both existing and new sources are often stricter in regions with a higher-quality environment (i.e., cleaner air, cleaner water, etc.). Since, the tighter standards on new or upgraded sources may reduce the incentive to replace the dirty, older facilities, in 2003 the EPA revised its rules to allow power plants and other major polluting facilities to be modernized without triggering the full panoply of "new-source review" requirements if the modernization involved did not involve a major design change and did not cost more than 20 percent of a completely new facility.

The Cost of Pollution Controls

The way pollution controls are often built into the production process makes any estimation of their cost extremely difficult. In addition, pollution controls often discourage new investment and production, but because the value of what is not produced is not seen, no one currently calculates such indirect costs. The federal government has, however, estimated a subset of costs—namely, direct expenditures on pollution controls. These expenditures cost governments and private entities an estimated $50 billion plus in 2002 alone. Some thirty-one billion dollars was spent on air-pollution abatement, seventeen billion on water-pollution controls, and eight billion for a variety of solid waste, hazardous waste, and other programs.

The most costly and complex federal pollution-control policy has been the motor vehicle emissions-control program. In order to enforce automobile standards set by Congress, the EPA must test each model line of new cars and must also test a random sample of vehicles already on the road. The EPA imposed the first federally mandated exhaust emission controls on new cars in 1967 and tightened these controls several times in the next twenty-five years. The Clean Air Act requires that emission controls on new cars work for at least the first eighty thousand miles driven or for eight years. The EPA estimated that the direct expenditures for compliance with the new-vehicle emissions standards totaled nineteen billion dollars in 2002.

Among the federally funded programs, two have been especially costly. The larger of these is the Municipal Sewage Treatment Construction Grant program begun in 1973. Through this program, the federal government directly underwrote grants totaling more than forty-three billion dollars by 1983 to pay for municipal sewage-treatment plants. Over time, the number of municipal sewage-treatment plants requiring major upgrades was reduced, and the federal contribution has now

declined to less than two billion dollars per year.

The second program is better known. In 1980, Congress established the Superfund to finance the cleaning of hazardous waste sites. This program required private entities responsible for hazardous dumps to clean them up, but if these parties could not be found, the cleanup would be funded by the government through general revenues and a tax on petroleum feed-stocks. In 1986, a new statute—the Superfund Amendments and Reauthorization Act—levied a federal tax on all corporations with taxable income over $2 million to help fund these remedial actions. Thus, corporations that had nothing to do with old hazardous waste sites or that do not even generate toxic waste were required to pay for the pollution others left behind. The Superfund program has been plagued with delays and a lack of detailed monitoring of its results. The EPA estimated its cost at $7.7 billion in 2002, but the EPA cannot estimate the program's benefits because it does not have the requisite evidence that the program has improved the ecosystem. Moreover, the EPA admits that it could not place a value on such improvements even if it had the requisite data.

The Economic Effects of Pollution Controls

Pollution controls divert economic resources from other economic activities, thereby reducing the potential size of measured national output. As long as the increase in the value of the environment is at least one dollar for each additional dollar spent on controls, the total value of goods, services, and environmental amenities is not reduced. Unfortunately, that seldom happens, for at least three reasons.

First, the Congress or the EPA may decide to control the wrong substances or to control some discharges too strictly. Congress's own Office of Technology Assessment concluded, for example, that attempting to reach the EPA's goal for urban smog reduction could cost more than $13 billion per year but result in less than $3.5 billion in improved health, agricultural, and amenity benefits. Attempting to use invariant national pollution standards to control smog, which varies substantially across geographic regions and over the seasons of the year, continues to be a very inefficient policy.

Second, regulatory standards can result in very inefficient patterns of control. Some polluters may be forced to spend twenty-five thousand dollars per ton to control the discharge of a certain pollutant, while for others the cost is only five hundred dollars per ton. Obviously, shifting the burden away from the former polluter toward the latter would result in lower total control costs for society for any given level of pollution control.

Third, pollution controls can have deleterious effects on investment in two ways. First, by making certain goods—chemicals, paper, metals, motor vehicles—more expensive to produce in the United States, they raise the prices of these goods and thereby reduce the amount of each demanded. Second, because controls are generally more onerous for new sources than for older, existing ones, managers are more likely to keep an old plant in use rather than replace it with a new, more efficient facility, even though the new facility would produce the same goods as the old one.

The command-and-control approach is flawed in other ways, too. It does little to encourage compliance beyond what is mandated. Regulations are introduced only after noticeable damage has occurred, and they may be difficult to enforce. Polluters who manage to avoid legislative scrutiny continue to pollute.

Market-Based Approach to Pollution Control

Problems like these have led policymakers to look for more efficient means of cleaning up the environment. As a result, the 1990 Clean Air Act Amendments look very different from their predecessors of the 1970s because they include market-based incentives to reduce pollution.

Market incentives are generally of two forms: pollution fees and so-called marketable permits. Pollution fees are simply taxes on polluters that penalize them in proportion to the amount they discharge into an air-shed, waterway, or local landfill. Such taxes are common in Europe but have not been used in the United States. Marketable permits are essentially transferable discharge licenses that polluters can buy and sell to meet the control levels set by regulatory authorities. These permits have been used in the United States because they do not impose large taxes on a small set of

polluting industries, as would be the case with pollution fees.

The 1990 Clean Air Act allows the EPA to grant "emissions permits" for certain pollutants. These are, in effect, rights to pollute that can be traded among polluters. Imagine a giant bubble that encloses all existing sources of air pollution. Within that bubble, some emitters may pollute more than the control level as long as other polluters compensate by polluting less. The government or some other state or regional authority decides on the desired level of pollution and the initial distribution of pollution rights within an industry or for a geographic region—the "bubble" that encloses these sources. Purchases and sales of permits within the "bubble" should reduce the total level of pollution to the allowable limit at the lowest total cost.

For example, a St. Louis study found that the cost of reducing particulate emissions for a paper products factory was $4 per ton, while the cost to a brewery was $600 per ton. The Clean Air Act could require St. Louis to reduce its emissions by a certain amount. Under the traditional approach, the brewery and the paper factory would each be required to cut emissions by, say, ten tons. The cost to the paper factory would be only $40, while the cost to the brewery would be $6,000. But with tradable permits, the brewery could pay the paper factory to cut emissions by twenty tons so that the brewery could continue to operate without reducing emissions at all. The net result is the same emission reduction of twenty tons as under the

command-and-control approach, but the total cost to society of the reduction is only $80 instead of $6,040.

The tradable permits work. The most notable success has been in reducing sulfur dioxide emissions from electric utility plants. The 1990 Clean Air Act Amendments contained a provision that set a cap on total sulfur dioxide emissions that would decline over time to about half their 1980 level. Instead of requiring all power plants to meet a technology-based standard, electric utilities were allocated a share of the maximum allowable national emissions. They could then buy or sell emission allowances, depending on their needs and their marginal costs of abatement. The program has worked spectacularly well, reducing total control costs by an estimated $750 million to $1.5 billion per year relative to the cost of the former technology-based standards, while meeting or exceeding the environmental goals of sulfur dioxide reductions.

Marketable permits also were used to phase down the use of chlorofluorocarbons (CFCs) in order to preserve the stratospheric ozone layer and to phase out the use of lead in gasoline in the 1980s. The CFC policy was instituted in 1990 and succeeded in mitigating the opposition to a phase-down of CFCs in developed countries, particularly the United States. The lead phase-down was designed to allow smaller refineries to acquire marketable permits rather than employing technologies that the larger refineries could implement more efficiently. This program saved hundreds of millions of dollars per year, promoted technological progress, and allowed a more orderly transition of refinery capacity without sacrificing environmental quality. Protecting our environment does not have to put an end to economic progress. Free markets in permits to pollute, like free markets for other resources, can ensure that pollution is controlled at the lowest cost possible.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

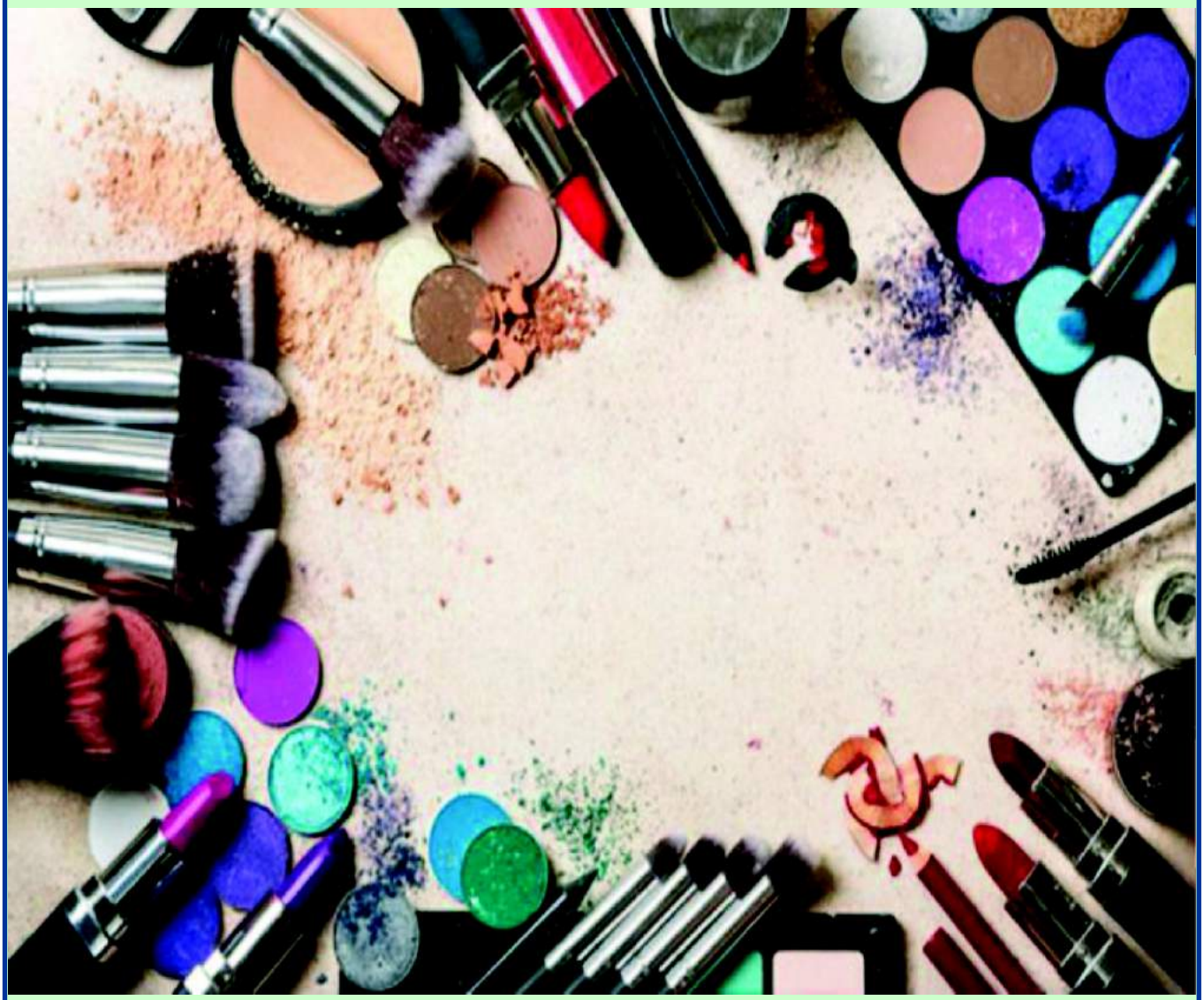

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

सावधानी से गाड़ी चलाएँ
या आप उसी जगह पँहुच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।
जनहित के लिए जारी